अध्याय–5

भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न बीमा उत्पादों का विवरण

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जनवरी 2014 सें वापस लिए गयें पुराने बीमा उत्पादों का विवरण :

अ. व्यक्तिगत बीमा उत्पाद

व्यक्तिगत बीमा उत्पादों के अर्न्तगत निम्नलिखित उत्पादों को सम्मलित किया जाता हैं।

बन्दोबस्ती बीमा उत्पाद

1– बन्दोबस्ती बीमा योजना लाभ सहित (तालिका क्रमांक –14)

2– सीमित भुगतान बन्दोबस्ती बीमा (तालिका क्रमांक – 48)

3– जीवन मित्र तिगुनी सुरक्षा (तालिका क्रमांक – 133)

4– जीवन आनन्द (तालिका क्रमांक – 149)

5– जीवन सरल (तालिका क्रमांक – 165)

6– नई जनरक्षा पॉलिसी (तालिका क्रमांक – 191)

आजीवन बीमा उत्पाद

7– आजीवन बीमा (तालिका क्रमांक – 02)

8– सीमित भुगतान आजीवन बीमा योजना (तालिका क्रमांक – 05)

9– परिवर्तनशील आजीवन बीमा (तालिका क्रमांक – 27)

धन वापसी उत्पाद

10– धन वापसी योजना (तालिका क्रमांक – 75 एवम् 93)

11– जीवन सुरभि योजना (तालिका क्रमांक – 106, 107, 108)

12– बीमा बचत योजना (तालिका क्रमांक – 175)

विकलांग आश्रित उत्पाद

13– जीवन आधार (तालिका क्रमांक – 114)

14– जीवन विश्वास (तालिका क्रमांक – 136)

महिलाओं के लिए विशेष धन उत्पाद

15– जीवन भारती (तालिका क्रमांक – 160)

उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के लिए बीमा उत्पाद

16– जीवन श्री । (तालिका क्रमांक – 102)

17– जीवन प्रमुख (तालिका क्रमांक – 167)

बच्चों के लिए बीमा उत्पाद

18– जीवन अनुराग (तालिका क्रमांक – 168)

19– कोमल जीवन (तालिका क्रमांक – 159)

20– जीवन किशोर (तालिका क्रमांक – 102)

21– जीवन छाया (तालिका क्रमांक – 103)

22– चाइल्ड कैरियर योजना (तालिका क्रमांक – 184)

23– चाइल्ड फ्यूचर प्लान (तालिका क्रमांक – 185)

24– विवाह बन्दोबस्ती / शैक्षिक वार्षिय योजना (तालिका क्रमांक – 90)

25– जीवन अंकुर (तालिका क्रमांक – 107)

26. जीवन साथी (तालिका संख्या – 89)

ब. पेंशन उत्पाद

27. नई जीवन सुरक्षा–1 / नई जीवन धारा–1 (तालिका सं0–147 / 148)

28. जीवन निधि (तालिका सं0–169)

29. जीवन अक्षय–6 (तालिका सं0–189)

बन्दोबस्ती योजनाएं

बन्दोबस्ती बीमा पत्र ऐसे बीमा पत्र होते है, जिनमें एक निश्चित अवधि का बीमा होता है और उसी अवधि तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। बन्दोबस्ती बीमा में प्रीमियम की दर आजीवन बीमा की अपेक्षा ऊँची होती है। इस जीवन बीमा उत्पाद को सबसे लोकप्रिय माना जाता है। इस योजना की अकाल मृत्यु होने की अवस्था में परिवार के गुजारे का प्रबन्ध होता है, बल्कि इच्छित उम्र में वह एक मुश्त रकम प्राप्त करता है। इसमें प्रीमियम की दर आजीवन बीमा से अधिक होती है।

इस योजना के अन्तर्गत बीमित व्यक्ति द्वारा पॉलिसी पर देय प्रीमियम वार्षिक, अर्द्धवार्षिक, त्रैमासिक एवं मासिक जिसे वह चुने का भुगतान कर सकता है। वेतनभोगी व्यक्ति के लिए उसके नियोक्ता द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिये जाने पर कि वह बीमित व्यक्ति के वेतन से राशि काटकर बीमा कम्पनी को भुगतान कर देगें, की दशा में वेतन बचत योजना के अन्तर्गत भी भुगतान किया जा सकता है। वार्षिक प्रीमियम के भुगतान चुनने पर बीमाधारी को सामान्य प्रीमियम में 3 प्रतिशत की छूट प्रदान करता है जबकि अर्द्धवार्षिक प्रीमियम भुगतान करने पर बीमाधारी को 1.5 प्रतिशत की छूट मिलता है। त्रैमासिक प्रीमियम भुगतान पर कोई छूट प्रदान नहीं की जाती हैं, जबकि मासिक प्रीमियम भुगतान पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त देय होता है।

प्रीमियम का निर्धारण सारणीबद्ध प्रीमियम के आधार पर किया जाता है, सारणीबद्ध प्रीमियम का निर्धारण भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पेशेवर एक्च्यूरीज के माध्यम से कराया जाता है, वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम की बेबसाइट पर उपलब्ध प्रीमियम

गणक के माध्यम से प्रीमियम की गणना सरलता से की जा सकती है। प्रीमियम की गणना करने हेतु सारणी बद्ध प्रीमियम में बीमाकृत राशि एवम् प्रीमियम भुगतान के तरीकों पर प्राप्त छूटों का समायोजन कर किया जाता है। तत्पश्चात् प्रीमियम की गणना की जाती है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बन्दोबस्ती योजना के अन्तर्गत प्रीमियम भुगतान पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 806 के अन्तर्गत कटौती प्रदान की जाती है। धारा 80ब (3) के अनुसार चुकाया गया प्रीमियम बीमित धन के 20 प्रतिशत से अधिक है, तो इस 20 प्रतिशत से अधिक भाग पर कटौती प्रदान नहीं की जाती हैं, प्रस्तावक द्वारा अपने माता–पिता के जीवन बीमा कराने पर चुकाये गये प्रीमियम पर कटौती नहीं प्रदान की जाती है। आयकर अधिनियम की धारा 80ब के अन्तर्गत वास्तविक रूप से किये गये भुगतान अथवा 1,00,000 रूपयें (दोनों में जो कम हो) की कटौती प्रदान की जायेगी।

वह धनराशि जो बीमा धारक के द्वारा लिए गये पॉलिसी अवधि के अन्त में पालिसी धारक को प्राप्त होती है परिपक्वता राशि कहलाती हैं, पालिसी अवधि के अन्त में पॉलिसी धारक की मृत्यु न होने की दशा में पालिसी धारक को परिपक्वता राशि निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है।

बीमा राशि – प्रस्तावक द्वारा बीमा पॉलिसी के लिए प्रस्तावित बीमा धनराशि

बोनस – बन्दोबस्ती बीमा योजना के अन्तर्गत मूल बीमा राशि के अतिरिक्त जो धनराशि प्राप्त होती हैं बोनस कहलाता है। वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बन्दोबस्ती योजना के लिए निम्नलिखित दरे अवधि के अनुसार निर्धारित किये गये हैं–

1– यदि पॉलिसी 11 वर्ष से कम अवधि के लिए ली गयी है तो रू0 34 प्रति हजार की दर से प्रतिवर्ष बोनस देय होगा।

2– यदि पॉलिसी 11 वर्ष से 15 वर्ष तक की अवधि के लिए निर्धारित है तो 38 रू0 प्रति हजार की दर से बोनस देय होगा।

3– 16 वर्ष से 20 वर्ष की पॉलिसी पर 42 रूपये प्रति हजार की दर से बोनस देय होगा।

4– 20 वर्ष से अधिक की पॉलिसी पर 48 रूपये प्रति हजार की दर से प्रतिवर्ष बोनस देय होगा।

पालिसी की परिपक्वता पर बीमित व्यक्ति को बीमित धनराशि के साथ–साथ बोनस देय होता है। यदि पॉलिसी धारक द्वारा प्रीमियम का भुगतान किया गया हैं तो उसे अन्तिम अतिरिक्त बोनस भी प्राप्त होता है। अन्तिम अतिरिक्त बोनस का निर्धारण भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उक्त अवधि में किया जाता है।

मृत्यु लाभ – यदि पॉलिसी अवधि में बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती हैं तो बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति को बीमित धनराशि के साथ–साथ बोनस देय होता हैं यदि पॉलिसी धारक द्वारा न्यूनतम 17 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान किया गया हैं तो उसे अन्तिम अतिरिक्त बोनस भी प्रदान किया जाता है। यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना के कारण हो जाती हैं तो नामांकित व्यक्ति को बीमा धन के दुगुनी धनराशि के साथ–साथ बोनस प्रदान किया जाता है। इस पालिसी के अन्तर्गत पॉलिसी धारक को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है सभी प्रकार की ऋण सुविधा बीमा की तिथि के तीन वर्ष पश्चात् देय होता है। यह ऋण सुविधा भारतीय जीवन बीमा निगम एवम् बैकों के माध्यम से पॉलिसीधारक द्वारा प्राप्त की जाती है। पॉलिसी के समर्पण मूल्य का लगभग 90 प्रतिशत धनराशि बैकों एवम् भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पॉलिसी पर दिया जा सकता है। व्याज का निर्धारण बैक एवम् भारतीय जीवन बीमा निगम के शर्तो के आधार पर किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम के बन्दोबस्ती बीमा उत्पाद निम्नलिखित हैं।

बन्दोबस्ती बीमा उत्पाद

1. बन्दोबस्ती बीमा योजना लाभ सहित (तालिका क्रमांक – 14)

उत्पाद परिचय एवम् विशेषताएँ :

बन्दोबस्ती बीमा योजना लाभ सहित तालिका क्रमांक–14 भारतीय जीवन बीमा निगम का प्राचीनतम एवं लोकप्रिय उत्पाद है। यह बीमा योजना 1 सितम्बर 1956 से लागू की गयी।

इसके अन्तर्गत बीमाधारी की मृत्यु हो जाने की अवस्था में परिवार (अविवाहित पुत्र एवं पुत्रियॉ) या नामित व्यक्ति को बीमित धनराशि प्राप्त होता है।

इस बीमा योजना में 12 वर्ष से 65 वर्ष तक की आयु सीमा के व्यक्ति सम्मिलित हो सकते है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 50,000 रूपयें राशि तक की बीमा पालिसी ली जा सकती है, परन्तु अधिकतम बीमित धनराशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं किया गया है तथा पॉलिसी परिपक्वता पर पॉलिसी धारक की अधिकतम् आयु सीमा 75 वर्ष निर्धारित है। इस योजना में व्यक्ति न्यूनतम् 5 वर्ष तथा अधिकतम् 55 वर्ष तक की अवधि के लिए बीमा पॉलिसी ले सकता है।

इस पालिसी की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें औसत प्रीमियम एवम् उच्च बोनस है। यह औसत प्रीमियम वाली बीमा योजना है जो 5 वर्ष से 55 वर्ष की बीमा अवधि में उपलब्ध रहने के कारण दीर्धकालीन एवम् अल्पकालीन अवधि में उपस्थित होने वाली सभी आर्थिक आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने में सरल है। इस योजना में बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर परिपक्वता पर बीमा राशि अतिरिक्त बोनस के साथ पॉलिसीधारक को प्रदान किया जाता हैं तथा मृत्यु होने पर बीमा राशि एवम् अतिरिक्त बोनस व्यक्ति को प्रदान किया जाता हैं।

2. सीमित भुगतान बन्दोबस्ती बीमा (तालिका क्रमांक – 48)

उत्पाद परिचय एवम् विशेषताएँ :

यह बन्दोबस्ती बीमा योजना सीमित प्रीमियम भुगतान से युक्त लाभ सहित बीमा योजना है। यह बीमा योजना 01 सितम्बर 1956 से लागू की गयी। इस पॉलिसी के अन्तर्गत व्यक्ति को बीमा अवधि का चयन करना पड़ता हैं यह अवधि क्रमशः 15 वर्ष, 20 वर्ष, एवम् 25 वर्ष निर्धारित है। इस योजना में व्यक्ति द्वारा न्यूनतम 50,000 रूपयें तक धनराशि का बीमा किया जा सकता है तथा अधिकतम धनराशि की सीमा निर्धारित नहीं है। इस योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति को न्यूनतम आयु 12 वर्ष तथा अधिकतम् आयु सीमा 70 वर्ष ही निर्धारित है। इस पॉलिसी है। इस पॉलिसी के अन्तर्गत व्यक्ति न्यूनतम 5 वर्ष से लेकर अधिकतम 25 वर्ष

तक की अवधि का बीमा ले सकता है। यह अत्यन्त लोकप्रिय उत्पाद हैं क्योकि इसमें न केवल बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार के हितों का ध्यान है बल्कि एक इच्छित आयु में अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने का आश्वासन हैं। इस योजना में बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर परिपक्वता पर बीमा राशि अतिरिक्त बोनस के साथ पॉलिसीधारक को प्रदान किया जाता हैं तथा मृत्यु होने पर बीमा राशि एवम् अतिरिक्त बोनस व्यक्ति को प्रदान किया जाता हैं।

3. जीवन मित्र तिगुनी सुरक्षा (तालिका क्रमांक – 133)

उत्पाद परिचय एवम् विशेषताएँ :

यह बीमा पॉलिसी उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जो असमय मृत्यु की स्थिति में अपने परिवार के लिए बड़ी बीमा राशि के रूप में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना चाहते है। इस पॉलिसी का प्रारम्भ भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 01 नवम्बर 1999 को किया गया था। एक बन्दोबस्ती बीमा पॉलिसी होने के कारण इसे प्रत्येक आयु वर्ग तथा सामाजिक समुदाय का हर वह व्यक्ति ले सकता है जो अपने परिवार को अपने असमय मृत्यु के कारण होने वाली हानि से बचाने का इच्छुक है। मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव, सेल्स रिप्रजेन्टेटिव इस योजना को प्राथमिकता देते है। बेरोजगार वयस्कों तथा विद्यार्थियों के लिए योजना उपयुक्त नहीं है। इस योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवम् अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित हैं तथा परिपक्वता पर अधिकतम् आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित है, बीमा पॉलिसी में प्रवेश का इच्छुक व्यक्ति न्यूनतम 15 वर्ष से लेकर अधिकतम् 30 वर्ष तक की अवधि का बीमा पॉलिसी ले सकता है। इस योजना के अन्तर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु की दशा में नामांकित व्यक्ति को बीमित धनराशि का तीन गुना राशि बोनस के साथ देय होता है यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना से हुई हैं तो बीमित धनराशि का चार गुना धनराशि नामांकित व्यक्ति को देय होता हैं। इस उत्पाद का दोष यह है कि यह उत्पाद केवल वयस्को के जीवनो पर लिया जा सकता हैं। बच्चों के जीवनों पर यह उत्पाद नही लिया जा सकता हैं। इस उत्पाद का गुण यह हैं कि पॉलिसिधारक द्वारा नामित व्यक्ति को मृत्यु की दशा में तिगुनी तथा दुर्घटना में मृत्यु की दशा में चौगुनी धनराशि प्राप्त होती हैं।

4. जीवन आनन्द (तालिका क्रमांक – 149)

उत्पाद परिचय एवम् विशेषताएँ :

जीवन आनन्द योजना बन्दोबस्ती एवं आजीवन योजनाओं के मूलभूत तत्वों को संयुक्त कर निगम द्वारा निर्मित नयी योजना है। यह योजना 17 जनवरी 2002 को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा लागू किया गया है। इस योजना का प्रारम्भ बन्दोबस्ती बीमा योजना के रूप में होता है, जिसके अन्तर्गत बीमाधारक को प्रीमियम का भुगतान चयनित अवधि या उसके पूर्व मृत्यु हो जाने तक करना पड़ता है। प्रीमियम भुगतान अवधि के मध्य मृत्यु हो जाने की स्थिति में मूल बीमा धन योगित बोनस के साथ नामांकित व्यक्ति को देय होता है। इस योजना में प्रीमियम भुगतान अवधि की समाप्ति तक बीमा धारक के जीवित रहने पर बोनसयुक्त मूल बीमाधन का भुगतान बीमा धारक को किया जाता है। प्रीमियम भुगतान की समाप्ति एवं संबंधित परिपक्वता राशि के भुगतान होने के पश्चात् भी बीमाधारक के जीवन पर मूल बीमाधन के समकक्ष (अधिकतम् 5 लाख) देय होता है। इस योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवम् अधिकतम् आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम एक लाख रूपयें धनराशि का बीमा पालिसी लिया जा सकता है, परन्तु अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। इस प्रकार इस बीमा उत्पाद के अर्न्तगत पूर्व निर्धारित बीमा राशि तथा बोनस प्रीमियम भुगतान अवधि के अन्त में देय होगें परन्तु व्यक्ति के जीवन का जोखिम संरक्षण इसकी मृत्यु होने तक जारी रहता हैं। इस उत्पाद का दोष यह है कि अवयस्को के जीवनो पर यह उत्पाद नही लिया जा सकता हैं।

5. जीवन सरल (तालिका क्रमांक – 165)

उत्पाद परिचय एवम् विशेषताएँ :

जीवन सरल सरल योजना 04 फरवरी, 2004 को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा लागू की गयी। इस योजना में पारम्परिक योजना की सभी अच्छी विशेषताएं हैं तथा साथ ही साथ यूनिट लिक्ड योजनाओं का लचीलापन हैं, इस योजना में परिपक्वता पर देय धनराशि प्रवेश के समय आयु तथा अवधि की भिन्नता के आधार पर भिन्न–भिन्न होगें। यह योजना उन व्यक्तियों या कर्मचारियों के लिए उपयोगी हैं जो अपनी वेतन बचत योजनाओं द्वारा संरक्षण चाहते हैं।

इस योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 12 वर्ष एवम् अधिकतम् आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित किया गया है। योजना में परिपक्वता पर व्यक्ति की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित है। इस योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति न्यूनतम 10 वर्ष एवम् अधिकतम् 35 वर्ष तक की अवधि का बीमा पॉलिसी ले सकते है। इस योजना में 12 वर्ष से 49 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति के लिए न्यूनतम प्रीमियम 250 रूपयें मासिक एवम् 15 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के लिए न्यूनतम् प्रीमियम 400 रूपयें मासिक है। इस योजना के अन्तर्गत परिपक्वता पर पॉलिसीधारक को परिपक्वता पर बीमा राशि और सहभागिता लाभ देय होता हैं तथा पॉलिसीधारक की मृत्यु की स्थित में मासिक प्रीमियमों की वापसी(अतिरिक्त प्रीमियम तथा प्रथम वर्ष का प्रीमियम छोडकर) और सहभागिता लाभ नामिती को भुगतान किया जाता हैं।

6. नई जनरक्षा पालिसी (तालिका क्रमांक – 191)

उत्पाद परिचय एवम् विशेषताएँ :

यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दिनॉक 2 जुलाई 1985 से संचालित की जा रही है। यह योजना विशेषकर समाज के ऐसे वर्ग के लिए निर्मित की गई हैं जिनकी आमदनी अनिश्चित होती है। जैसे – किसान एवम् मजदूर इत्यादि। इस योजना के अन्तर्गत दो वर्षो तक प्रीमियम जमा करने के पश्चात् आगामी तीन वर्षो तक प्रीमियम न जमा करने पर भी मूलधन पर जोखिम जारी रहता हैं, स्वरोजगार से जुड़ी शिक्षित महिलाएं एवम् उच्च आय वर्ग के व्यक्ति जिनकी आमदनी अनिश्चित हैं वे भी इस योजना में सम्मिलित हो सकते है। इस योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवम् अधिकतम् आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित है तथा परिपक्वता पर अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित है बीमा पॉलिसी में प्रवेश का इच्छुक व्यक्ति न्यूनतम 12 वर्ष से लेकर अधिकतम् 30 वर्ष तक की अवधि का बीमा पालिसी ले सकता हैं। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 50,000 रूपयें राशि से लेकर अधिकतम 10,00,000 लाख तक की बीमा पालिसी ली जा सकती है। इस योजना में परिपक्वता पर मूल बीमाधन एवम् बोनस बीमित व्यक्ति को प्राप्त होता है, यदि बीमाधारक की मृत्यु दुर्धटना के कारण होती है तो नामांकित व्यक्ति को बीमाधन के दुगुनी धनराशि प्राप्त

होती है। इस प्रकार यह योजना समाज के विशेष वर्ग के लिए निर्मित की गई हैं जिनकी आमदनी निश्चित नही हैं। इस योजना के अन्तर्गत दो वर्ष तक प्रीमियम जमा करने के पश्चात आगामी तीन वर्षों तक जोखिम जारी रहता हैं।

आजीवन बीमा उत्पाद

आजीवन बीमा उत्पादों के अन्तर्गत न्यूनतम प्रीमियम का भुगतान कर अधिकृत जोखिम के लाभ का उपभोग किया जाता है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके अन्तर्गत बीमा राशि बीमित व्यक्ति को उसके जीवन काल में न प्राप्त होकर उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात् उसके आश्रितों को देय होती है। इस बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत बीमा कराने वाले व्यक्ति को स्वयं कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, बल्कि यह तो उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके परिवार के लिए लाभदायक होती है। आजीवन बीमा पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान तीन प्रकार से किया जा सकता है। आजीवन बीमा पॉलिसी में प्रीमियम की दर सबसे कम होती है

7. आजीवन बीमा (तालिका क्रमांक – 02 लाभ सहित)

उत्पाद परिचय एवम् विशेषताएँ :

इस योजना का प्रारम्भ भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 1 सितम्बर 1956 से किया जा रहा है। यह योजना सभी आयु वर्ग के ऐसे व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जो स्वयं की मृत्यु के दौरान अपने परिवार को आर्थिक गतिरोध से बचाना चाहते है। इस योजना के अन्तर्गत पॉलिसी धारक के आजीवन जोखिम संरक्षण की व्यवस्था रहती है। प्रीमियम भी आजीवन देय होता है। इस योजना के अन्तर्गत बीमा धारक को प्रीमियम का भुगतान 80 वर्ष की आयु या 35 वर्ष की अवधि जो बाद में हो या उसके पूर्व मृत्यु हो जाने तक करना पड़ता है। बोनस युक्त बीमाधन का भुगतान बीमा धारक की मृत्यु के पश्चात् नामित व्यक्ति को किया जाता है। 80 वर्ष के आयु या 40 वर्ष की अवधि जो बाद में, के पश्चात् बीमा धारक परिपक्वता राशि प्राप्त कर सकता है। इस योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष एवम् अधिकतम् आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 50,000 रूपयें धनराशि तक की बीमा पॉलिसी ली जा सकती हैं, परन्तु अधिकतम् बीमित धनराशि की

कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इस उत्पाद के अर्न्तगत पॉलिसिधारक के 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या पॉलिसी प्रारम्भ होने की तिथि के 40 वर्ष की अवधि पर जो की बाद में हो बीमा राशि बोनस के साथ प्रदान किया जाता हैं। पॉलिसिधारक की मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को बीमा राशि तथा बोनस प्रदान किया जाता हैं।

8. सीमित भुगतान आजीवन बीमा योजना (तालिका क्रमांक – 05)

उत्पाद परिचय एवम् विशेषताएँ :

यह योजना पारिवारिक हितों के लिए सर्वोत्तम प्रकार की योजना हैं, क्योंकि इसके अन्तर्गत बीमित व्यक्ति अपने जीवन काल के सर्वाधिक सक्रिय दिनों में ही सभी प्रीमियमों का भुगतान कर देता हैं तथा जीवन के उन दिनों में जबकि परिस्थितियॉ प्रतिकूल हो सकती हैं, उसे प्रीमियम भुगतान की आवश्यकता नहीं पड़ती। लाभ सहित सीमित भुगतान पॉलिसियों के प्रीमियम भुगतान की अवधि समाप्त हो जाने पर भी लाभ में भागीदारी समाप्त नहीं होती हैं, बल्कि बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर्यन्त समय–समय पर होने वाले बोनस वितरण में उसकी भागीदारी जारी रहती है। यदि पॉलिसीधारक निरन्तर 3 वर्ष तक प्रीमियमों का भुगतान करता है तथा उसके पश्चात् प्रीमियम देना बन्द कर देता हैं तो दुर्बल प्रदत्त बीमा पॉलिसी प्रारम्भ हो जाती हैं, इस योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 12 वर्ष एवम् अधिकतम् आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 50,000 रूपयें धनराशि तक की बीमा पॉलिसी ली जा सकती हैं, परन्तु अधिकतम् बीमित धनराशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत प्रीमियम भुगतान की अवधि न्यूनतम 5 वर्ष तथा अधिकतम 55 वर्ष हैं। इस उत्पाद के अन्तर्गत बीमित व्यक्ति प्रीमियम भुगतान अवधि तक सम्पूर्ण प्रीमियम भुगतान करता हैं अब और प्रीमियम भुगतान करने की आवश्यकता नही हैं तो उसे बीमित धनराशि बोनस के साथ प्राप्त होती हैं। बीमाधारक की मृत्यु की दशा में बीमा राशि बोनस के साथ बीमाधारक द्वारा नामांकित व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। इसका सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यदि पॉलिसिधारक निरन्तर 3 वर्ष तक प्रीमियमों का भुगतान करता हैं तथा उसके पश्चात् प्रीमियम देना बन्द कर देता हैं तो दुर्बल प्रदत्त पॉलिसी प्रारम्भ हो जाती हैं।

9. परिवर्तनशील आजीवन बीमा (तालिका क्रमांक – 27 लाभ सहित)

उत्पाद परिचय एवम् विशेषताएँ :

परिवर्तनशील आजीवन बीमा के अन्तर्गत बीमा धारक के पास 5 वर्ष पॉलिसी जारी रखने के उपरान्त विकल्प उपस्थित होता हैं कि आजीवन बीमा को बन्दोबस्ती में परिवर्तित कर नई बीमा अवधि का चयन कर चालू रखे या आजीवन बीमा के अन्तर्गत ही 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक प्रीमियम का भुगतान करता रहे एंव बीमा धन की अदायगी उसकी मृत्यु के उपरान्त नामित व्यक्ति को की जाए। यह योजना अपने इस परिवर्तन विकल्प की विशेष गुणवत्ता के कारण उन लोगों के लिए उपयुक्त हैं जो अपने कैरियर के प्रारम्भिक दौर में हैं एवं आर्थिक जिम्मेदारियों के कारण अत्यधिक प्रीमियम जमा करने की स्थिति में नहीं है। पर समुचित जीवन सुरक्षा चाहते हैं, साथ ही पॉच वर्ष के उपरान्त जिम्मेदारियों के सीमित हो जाने के कारण बढ़ी हुए दर से प्रीमियम अदा कर सकते है। इस योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 12 वर्ष एवम् अधिकतम् आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित है। 10 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक की अवधि का बीमा पॉलिसी ली जा सकती है। इस योजना की विशेषता यह है कि आजीवन बीमा उत्पाद को बन्दोबस्ती बीमा उत्पाद में परिवर्तन किया जा सकता हैं।

<u>धन वापसी उत्पाद</u>

जीवन बीमा निगम की धन वापसी उत्पाद लोकप्रिय उत्पाद है। इस उत्पाद के अन्तर्गत निश्चित अवधि के अन्तराल पर हित लाभ का भुगतान बीमा अवधि में होता है। बन्दोबस्ती बीमा उत्पादों की तुलना में धन वापसी उत्पाद में प्रीमियम की दर अपेक्षाकृत अधिक रहती है। धन वापसी योजना के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के निम्न उत्पादों को सम्मिलित किया गया है।

10. धन वापसी योजना (तालिका क्रमांक – 75 एवम् 83)

उत्पाद परिचय एवम् विशेषताएँ :

इस योजना का प्रारम्भ भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 1 सितम्बर 1978 से किया गया था, सामान्य बन्दोबस्ती योजनाओं से भिन्न, जिसमें विद्यमानता लाभ केवल बन्दोबस्ती अवधि की समाप्ति पर ही पॉलिसीधारक अथवा नामित व्यक्ति को देय होता है, जबकि इस योजना में पॉलिसी की अवधि के दौरान समय समय पर आंशिक विद्यमानता लाभ प्रदान करने का प्रावधान है। यह धन वापसी पॉलिसी धारक के जीवित रहने तक होती है।

20 वर्ष की धन वापसी योजना (तालिका सं0 75) में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 13 वर्ष एवम् अधिकतम् आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित है। परन्तु 25 वर्ष की धन वापसी योजना (तालिका क्रमांक 93) में अधिकतम् आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित है। पॉलिसी परिपक्वता पर अधिकतम् आयु सीमा 70 वर्ष है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 50,000 रूपयें धनराशि तक की बीमा पॉलिसी ली जा सकती है, परन्तु अधिकतम् बीमित धनराशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

20 वर्ष की धनराशि योजना (तालिका क्रमांक – 75) में बीमा राशि का 20–20 प्रतिशत क्रमशः 5, 19 तथा 15 वर्षो के पश्चात् देय हो जाता हैं तथा शेष 40 प्रतिशत एवं संबंधित बोनस बीसवें वर्ष के अन्त में देय होता है।

प्रथम विद्यमानता लाभ प्राप्त करने के समय बीमित व्यक्ति का व्यस्क होना आवश्यक है। 25 वर्ष अवधि की धन वापसी योजना (तालिका सं0 –93) में प्रत्येक 5 वें, 10वें, 15वें तथा 20 वर्ष पश्चात् बीमा राशि का 15 प्रतिशत देय होता हैं तथा शेष 40 प्रतिशत बोनस के साथ 25 वे वर्ष देय होता है।

इस प्रकार की पॉलिसियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर मृत्यु दॉवे में सम्पूर्ण बीमा राशि पूर्व प्रदत्त विद्यमानता लाभ की कटौती किये बिना देय होगी।

11. जीवन सुरभि योजना (तालिका क्रमांक – 106, 107, 108) लाभ सहित

उत्पाद परिचय एवम् विशेषताएँ :

जीवन सुरभि योजना धन वापसी योजना का संशोधित रूप है। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दिनॉक 1 नवम्बर 1992 से लागू किया गया। अन्य बीमा योजना तथा जीवन सुरभि में प्रमुख भिन्नताएँ हैं : परिपक्वता अवधि प्रीमियम भुगतान अवधि से अधिक हैं। विधमानता लाभ का भुगतान शीघ्र व उच्च दर से होता हैं। जोखिम संरक्षण में प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात वृद्धि होती रहती हैं। यह योजना व्यपारियों एव व्यवसायियों के लिए उपयोगी हैं। यह योजना तीन अवधि विकल्पों तालिका क्रमांक 106, 15 वर्ष जीवन सुरभि तालिका क्रमांक 107, 20 वर्ष एवम् जीवन सुरभि तालिका क्रमांक 108, 25 वर्ष के साथ उपलब्ध है। इस योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 14वर्ष हैं, परन्तु तालिका क्रमांक 106, 15 वर्ष के लिए अधिकतम् आयु सीमा 55 वर्ष तथा तालिका क्रमांक 107, 20 वर्ष के लिए अधिकतम् आयु सीमा 50 वर्ष एवम् तालिका क्रमांक 108, 25 वर्ष के लिए अधिकतम् आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 50,000 रूपयें धनराशि तक की बीमा पॉलिसी ली जा सकती हैं, परन्तु अधिकतम् बीमित धनराशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तालिका संख्या 106 के लिए पॉलिसी अवधि 15 वर्ष एवम् प्रीमियम भुगतान अवधि 12 वर्ष हैं। तालिका संख्या 107 के लिए पॉलिसी अवधि 20 वर्ष प्रीमियम भुगतान अवधि 15 वर्ष हैं। तालिका संख्या 108 के लिए पॉलिसी अवधि 25 वर्ष व प्रीमियम भुगतान अवधि 18 वर्ष हैं। तालिका सं0 106 के लिए 4 वर्ष की समाप्ति पर मूल बीमा राशि का 30 प्रतिशत प्रदान किया जाता है तथा 15 वर्ष जोखिम संरक्षण जारी रहता हैं। 8 वर्ष समाप्त होने पर बीमा राशि का 40 प्रतिशत प्रदान किया जाता हैं। 15 वर्ष समाप्त होने पर बोनस प्रदान किया जाता हैं। तालिका संख्या 107 के लिए 4 वर्ष समाप्त होने पर मूल बीमा राशि का 25 प्रतिशत प्रदान किया जाता हैं तथा 20 वर्ष

तक जोखिम संरक्षण रहता हैं तत्पश्चात 8वें , 12वें, 15वें वर्ष के समाप्त होने पर मूल बीमा राशि का 25 प्रतिशत प्रदान किया जाता हैं तथा 20 वर्ष की समाप्त होने पर बोनस प्रदान किया जाता हैं। तालिका संख्या 108 के लिए 4 वर्ष समाप्त होने पर मूल बीमा राशि का 20 प्रतिशत प्रदान किया जाता हैं तथा जोखिम संरक्षण 25 वर्ष तक रहता हैं तत्पश्चात 8वें , 12वें, 15वें तथा 18वें वर्षों के समाप्त होने पर मूल बीमा राशि का 20 प्रतिशत प्रदान किया जाता हैं तथा 25 वर्ष के समाप्त होने पर बोनस प्रदान किया जाता हैं।

12. बीमा बचत (तालिका क्रमांक – 175)

उत्पाद परिचय एवम् विशेषताएँ :

यह योजना 18 अगस्त 2005 को प्रारम्भ की गयी थी। यह योजना एक एकल प्रीमियम धन वापसी योजना हैं जिसमें परिपक्वता पर पॉलिसी धारक को पॉलिसी के अन्तर्गत जमा किया गया एकल प्रीमियम लाभ के साथ देय होता हैं, इसके अतिरिक्त निर्धारित अवधि तक पॉलिसी धारक की विद्यमानता पर पॉलिसी धारक को लाभ किस्तों में देय होता है। यदि पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाने पर इस योजना के अन्तर्गत पॉलिसी धारक के नामित को बीमा राशि देय होती है। इस योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष एवम् अधिकतम आयु सीमा 66 वर्ष निर्धारित है। पॉलिसी की परिपक्वता पर अधिकतम आयु सीमा 75 वर्ष है। इस योजना के अन्तर्गत बीमा के इच्छुक व्यक्ति न्यूनतम 20,000 रूपयें धनराशि तक की बीमा पॉलिसी ले सकते है। परन्तु अधिकतम् बीमित धनराशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्त तक पॉलिसी धारक की विद्यमानता पर निम्नलिखित लाभ देय होता है।

9 वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए प्रत्येक तीसरे एवं छठवें एवं नौवें पॉलिसी वर्ष के अन्त में बीमा राशि का 15 प्रतिशत देय होता है। 12 वर्ष की पॉलिसी अवधि में प्रत्येक तीसरे, छठवें, नौवें पॉलिसी वर्ष के अन्त में बीमा राशि का 15 प्रतिशत देय होता है।

15 वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए प्रत्येक तीसरे, छठवें, नौवें एवं बारहवें पॉलिसी वर्ष के अन्त में बीमा राशि का 15 प्रतिशत धनराशि बीमा धारक को देय होगी।

पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित जीवन की मृत्यु होने पर बीमा राशि के बराबर धनराशि नामांकित व्यक्ति को देय होगी।

विकलांग आश्रितों के लिए बीमा उत्पाद

13. जीवन आधार तालिका क्रमांक – 114)

उत्पाद परिचय एवम् विशेषताएँ :

यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 1 जनवरी, 1996 से प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग आश्रितों के पालन पोषण हेतु वित्त व्यवस्था करना है। यह पॉलिसी सीमित भुगतान आजीवन प्रकार पॉलिसी है। इसमें प्रीमियम का भुगतान सुनिश्चित अवधि तक किया जाता है। इस योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 22 वर्ष एवम् अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित हैं, इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 50,000 रूपयें धनराशि की बीमा पालिसी ली जा सकती हैं, परन्तु अधिकतम बीमित धनराशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर अधिकतम 35 वर्ष तक की बीमा पॉलिसी ली जा सकती है। इस योजना के अन्तर्गत कम से कम 10 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करने के पश्चात् यदि बीमित जीवन की मृत्यु होती है तो नामित व्यक्ति को बीमा राशि सुनिश्चित लाभ (100 रूपयें प्रति हजार बीमा राशि की दर से). आवधिक बोनस (यदि हो) देय होता है। यह राशि कल्पित बीमा राशि कहलाती है। बीमा धारक की मृत्यु के पश्चात् नामित को इस कल्पित बीमा राशि का 20 प्रतिशत राशि का भुगतान तत्काल देय होगा एवं शेष 80 प्रतिशत नामित व्यक्ति को 15 वर्ष तक निश्चित एवं तत्पश्चात् आजीवन पेंशन के रूप में देय होगा। यह भुगतान बीमा धारक की मृत्यु के पश्चात आश्रित को देय होता है। जो आयकर अधिनियम की धारा 80 क्क के अन्तर्गत देय प्रीमियमों की राशि 100 प्रतिशत कर मुक्त होगी।

14. जीवन विश्वास (तालिका क्रमांक – 136)

उत्पाद परिचय एवम् विशेषताएँ :

यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 1 दिसम्बर 1999 से प्रारम्भ की गयी थी। यह लाभ से युक्त बन्दोबस्ती योजना है। यह योजना उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हैं जिन व्यक्तियों का कोई विकलांग आश्रित है। इस योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष एवं अधिकतम् आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित हैं एवम् परिपक्वता पर अधिकतम् आयु सीमा 75 वर्ष निर्धारित है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 50,000 रूपयें धनराशि तक की बीमा पॉलिसी ली जा सकती हैं जबकि अधिकतम् बीमित धनराशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर अधिकतम् 40 वर्ष तक की अवधि की बीमा पॉलिसी ली जा सकती है। यदि बीमित व्यक्ति पॉलिसी की परिपक्वता तिथि तक जीवित रहता हैं तो मूल बीमा राशि लाभ के साथ देय होता है। इसमें मूल बीमा राशि का 20 प्रतिशत. लाभ का परिपक्वता पर भुगतान किया जाता है। शेष 80 प्रतिशत का उपयोग विकलांग आश्रित के लिए चयनित विधि के अनुसार तुरन्त वार्षिकी प्रदान करने के लिए किया जाता है। वार्षिकी का भुगतान निम्न विधियों में एक के अनुसार किया जाता है। (1) आजीवन वार्षिकी (2) 5, 10, तथा 15 वर्षो एवं तत्पश्चात् जीवन के लिए वार्षिकी ।

यदि पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती हैं तो मूल बीमा राशि लाभ के साथ देय होता हैं।

महिलाओं के लिए विशेष धन वापसी योजना

15. जीवन भारती (तालिका क्रमांक – 160)

उत्पाद परिचय एवम् विशेषताएँ :

यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 6 मार्च 2003 से प्रारम्भ की गयी थी। जीवन भारती पॉलिसी जीवन बीमा निगम ने आज की नारी के लिए तैयार की है। इस पॉलिसी के

द्वारा कोई भी महिला शिक्षा, शादी–विवाह या बीमारी जैसी जरूरतों के लिए धन प्राप्त कर सकती हैं। यह योजना महिलाओं को धन बचत के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इस योजना के अन्तर्गत यदि प्रथम दो वर्षों में प्रीमियम का भुगतान किया गया हैं तो तीन वर्षो तक बिना प्रीमियम भुगतान के भी बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती हैं इस योजना के अन्तर्गत अग्रिम प्रीमियम जमा करने पर 4 प्रतिशत वार्षिक छूट प्राप्त करने की भी सुविधा है। इस योजना में प्रवेश के इच्छुक महिला की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवम् अधिकतम् आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित हैं तथा पालिसी परिपक्वता पर अधिकतम् आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 15 वर्ष से लेकर अधिकतम् 20 वर्ष तक की अवधि की बीमा पॉलिसी ली जा सकती है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम् 50,000 रूपयें से लेकर अधिकतम् 25 लाख रूपयें तक की बीमा पॉलिसी ली जा सकती है। इस योजना में 20 वर्ष की अवधि हेतु प्रत्येक 5, 10, 15 वर्ष के अन्त में बीमा राशि का 20 प्रतिशत देय होता है। शेष बीमा राशि लाभ तथा बोनस के साथ परिपक्वता पर देय होता है।

<u>उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के लिए बीमा उत्पाद</u>

16. जीवन श्री (तालिका क्रमांक – 102)

उत्पाद परिचय एवम् विशेषताएँ :

यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 16 जनवरी 1995 से प्रारम्भ की गयी थी।यह बन्दोबस्ती योजना उच्च आय वाले व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी है। यह योजना व्यवसायी, उद्योगपति, जमींदार, अप्रवासी, भारतीय फिल्म स्टार किसी संस्था के प्रमुख व्यक्ति या स्वयं के किसी कार्य क्षेत्र में सफल व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। इस योजना में जीवन बीमा सुरक्षा बीमा भुगतान अवधि के पश्चात् भी काफी समय तक जारी रहती है। इस योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम् आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित है। पॉलिसी परिपक्वता पर व्यक्ति की आयु 75 वर्ष निर्धारित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 5 वर्ष से लेकर अधिकतम् 25 वर्ष तक की अवधि की बीमा पॉलिसी ली जा सकती है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 5 लाख रूपयें धनराशि की बीमा पॉलिसी ली जा

सकती हैं जबकि अधिकतम् सीमा निर्धारित नहीं है। पलिसी की परिपक्वता पर बीमित व्यक्ति को मूल बीमा राशि के साथ 50 रूपयें प्रति हजार की दर बीमा राशि की दर से लाभ (प्रथम 5 वर्षो हेतु) तथा बोनस देय होता है।

17. जीवन प्रमुख (तालिका क्रमांक – 167)

उत्पाद परिचय एवम् विशेषताएँ :

यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 13 अक्टूबर 2004 से प्रारम्भ की गयी थी। यह योजना एक बन्दोबस्ती योजना हैं जो उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जो किसी संगठन के कार्य क्षेत्र तथा उसकी लाभप्रद क्रियाओं में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इन प्रमुख व्यक्तियों की अनुपस्थिति संगठन के भविष्य तथा उसके लाभ को प्रभावित कर सकती है। जीवन बीमा निगम की जीवन प्रमुख योजना की मैन इन्श्योरेश योजना हैं जो व्यक्ति की अपनी कम्पनी को ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण हानि के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम् आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित हैं जबकि पॉलिसी परिपक्वता पर अधिकतम् आयु सीमा 75 वर्ष निर्धारित है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 5 वर्ष से लेकर अधिकतम् 25 वर्ष तक की बीमा पॉलिसी ली जा सकती है। इस योजना के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति न्यूनतम 10 लाख रूपयें तक की बीमा पॉलिसी ले सकता है, जबकि अधिकतम् धनराशि को सीमा निर्धारित नहीं है। परिपक्वता पर व्यक्ति को बीमा राशि सुनिश्चित लाभ एवं बोनस के साथ देय होता हैं पॉलिसी धारक की मृत्यु के पश्चात् नामित व्यक्ति को बीमा राशि लाभ एवम् बोनस के साथ देय होता है।

बाल उत्पाद

18. जीवन अनुराग (तालिका क्रमांक – 168

उत्पाद परिचय एवम् विशेषताएँ :

यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 8 सितम्बर 2004 से प्रारम्भ की गयी थी। भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन अनुराग योजना विशेष रूप से बच्चों की शैक्षणिक

जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गयी है। यह योजना माता या पिता में से कोई भी अपने जीवन भर ले सकता है। इस योजना के अन्तर्गत प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष एवं अधिकतम् आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित हैं इस योजना के अन्तर्गत एकल प्रीमियम हेतु 5 वर्ष तथा नियमित प्रीमियम हेतु न्यूनतम 10 वर्ष एवम् अधिकतम 25 वर्ष तक की अवधि निर्धारित है। इस योजना के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति न्यूनतम 50,000 रूपयें तक की बीमा पॉलिसी ले सकता हैं जबकि अधिकतम धनराशि की सीमा निर्धारित नहीं है। इस पालिसी की परिपक्वता पर अधिकतम् आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित है। इस योजना के अन्तर्गत लभ पूर्व निर्धारित अवधि के दौरान देय होता है। चाहे बीमित व्यक्ति पॉलिसी अवधि के अन्त तक विद्यमान रहे अथवा पालिसी अवधि के दौरान उसकी मृत्यु हो जाये।

परिपक्वता अवधि से पूर्व 3 पॉलिसी वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में मूल बीमा राशि का 20 प्रतिशत भुगतान किया जाता है तथा परिपक्वता पर पूर्ण बीमा राशि पर पूर्ण अवधि के लिए समय समय पर घोषित प्रत्यावर्ती बोनसों और अन्तिम बोनसों का समेत यदि कोई है बीमित रकम का 40 प्रतिशत देय होता है। जैसे अगर पॉलिसी की अवधि 20 वर्षो की है तो 20 प्रतिशत बीमित रकम सत्रहवें, अठ्ठारहवें और उन्नीसवें साल के अन्त में देय होगी और 40 प्रतिशत बीमित रकम प्रत्यावर्ती बोनसों और अन्तिम बोनसों यदि कोई हैं तो बीसवें साल के अन्त में देय होगी। पॉलिसी की अवधि के दौरान यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तथा पॉलिसी पूर्णतया संचालित रही हैं तो उसके नामिनी को बीमा राशि के साथ साथ सुनिश्चित लाभ तथा संचित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस व अन्तिम अतिरिक्त बोनस (यदि कोई हो) तो देय होगा।

19. कोमल जीवन (तालिका क्रमांक – 159)

उत्पाद परिचय एवम् विशेषताएँ :

इस योजना का प्रारम्भ 28 फरवरी, 2003 को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया था। यह बच्चों की एक धन वापसी योजना हैं जो मृत्यु की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा देती हैं और योजना अवधि के दौरान उत्तरजीविता पर तय अन्तराल के बाद समय–समय पर भुगतान

करती है। यह पॉलिसी 0 से 10 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए कोई भी अभिभावक (माता/पिता) या अभिभावकों के अभिभावक (दादा/दादी, नाना/नानी) खरीद सकते है। इस योजना इस योजना के अन्तर्गत जोखिम सुरक्षा पॉलिसी प्रारम्भ होने के दो वर्ष बाद या बच्चें की उम्र सात वर्ष पूरी करने के तुरन्त बाद पॉलिसी की साल गिरह से जो भी बाद मे हो प्रारम्भ होती है। इस योजना में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम् आयु सीमा 0 वर्ष एवम् अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष निर्धारित है। परिपक्वता पर अधिकतम् आयु सीमा 26 वर्ष निर्धारित है। इस पॉलिसी में बच्चों की आयु 18 वर्ष होते ही पॉलिसी दिवस पर प्रीमियम का भुगतान बन्द हो जाता है। इस योजना के अन्तर्गत जोखिम संरक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त 18वर्ष, 20वर्ष, 22 वर्ष एवं 24 वर्ष की आयु में किश्तों में बीमा राशि तथा 26 वर्ष की आयु में सुनिश्चित लाभ. सहभागिता लाभ (यदि है) देय होता है। बीमित व्यक्ति की आयु 18 वर्ष तथा 20 वर्ष पूरे होने पर बीमा राशि का 20 प्रतिशत तथा 22 वर्ष तथा 24 वर्ष पूरे होने पर बीमा राशि का 30 प्रतिशत दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 1 लाख रूपयें अधिकतम् 25 लाख रूपयें की बीमा पॉलिसी ली जा सकती है। जोखिम संरक्षण प्राप्त करने के पश्चात् किन्तु पालिसी की परिपक्वता से पूर्व अवधि के दौरान यदि दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो लाभ के रूप में पहले किस्तों में अदा की गई राशि की कटौती किए बिना बीना राशि के साथ–साथ सुनिश्चित लाभ एवं सहभागिता लाभ प्रदान किया जाता है।

20. जीवन किशोर (तालिका क्रमांक – 102 लाभ सहित)

उत्पाद परिचय एवम् विशेषताएँ :

यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 15 दिसम्बर 1990 को प्रारम्भ की गयी थी। यह एक बन्दोबस्ती पॉलिसी हैं जो 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए उपलब्ध है। सामान्यतः इस पॉलिसी के प्रस्तावक पिता या माता हो सकते है, लेकिन माता–पिता के न रहने पर कानूनी अभिभावक या बच्चे के दादा–दादी या नाना–नानी भी प्रस्तावक हो सकते है। इस योजना में प्रवेश हेतु इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 0 वर्ष एवं अधिकतम् आयु सीमा 12 वर्ष निर्धारित हैं, परिपक्वता पर अधिकतम् आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 15 वर्ष से लेकर अधिकतम् 35 वर्ष तक की अवधि के लिए बीमा पालिसी ली

जा सकती हैं इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 50,000 रूपयें से लेकर अधिकतम् 40 लाख रूपयें तक धनराशि तक की बीमा पॉलिसी ली जा सकती है। किशोर के जीवन पर जोखिम बीमा प्रारम्भ होने के दो वर्ष पश्चात् या 7 वर्ष की उम्र पूरा करने के पश्चात् पड़ने वाले पॉलिसी वर्षगॉठ जो बाद में हो, से प्रारम्भ होती है। परन्तु 11 वर्ष के किशोर को पॉलिसी प्रारम्भ होने के पश्चात् पड़ने वाली द्वितीय पॉलिसी वर्षगाठ से जोखिम सुरक्षा प्रारम्भ होती है। किशोर के वयस्क होने के पश्चात् पॉलिसी स्वतः उसके जीवन में निहित हो जाती हैं अर्थात् 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बच्चा स्वतः ही पॉलिसी का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है।

इस योजना के अन्तर्गत पॉलिसी की परिपक्वता पर पॉलिसी अवधि के दौरान घोषित सभी बोनस सहित बीमा राशि पॉलिसी अवधि के समाप्त होने पर जीवित व्यक्ति को एक मुश्त देय होती है। यदि जीवन जोखिम संरक्षण प्रारम्भ होने के पश्चात् पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो बीमा राशि बोनस के साथ देय होता है, यदि जीवन जोखिम संरक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व मृत्यु हो जाती है, तो नामिनी को केवल जमा की गई प्रीमियम राशि प्राप्त होती है।

21. **जीवन छाया (तालिका क्रमांक – 103)**

उत्पाद परिचय एवम् विशेषताएँ :

यह बन्दोबस्ती बीमा योजना है जो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दिनॉक 1 मार्च 1991 को प्रारम्भ की गई थी। यह योजना उन माता–पिता के लिए लाभ दायक है जिनका एक वर्ष से कम आयु का बच्चा हैं (गोद लिया गया बच्चा नहीं)। यदि पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उपयुक्त निर्धारित लाभों के अतिरिक्त बीमा राशि देय होती है। इस योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवम् अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित है। पॉलिसी की परिपक्वता पर अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 18 वर्ष की अवधि से लेकर अधिकतम् 25 वर्ष की अवधि का बीमा पॉलिसी लिया जाता सकता है। न्यूनतम 50,000 रूपयें धनराशि की बीमा पॉलिसी ली जा सकती है जबकि अधिकतम धनराशि की सीमा निर्धारित नहीं है। इस पॉलिसी के अन्तर्गत योजना की समूची अवधि के दौरान मृत्यु हो जाने पर

वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। पॉलिसी धारक की मृत्यु के तुरन्त बाद पूरी बीमित धनराशि का भुगतान कर दिया जाता हैं और उस धनराशि के अतिरिक्त पॉलिसी की अवधि के अन्तिम चार वर्षो के दौरान हर साल के अन्त में बीमित धनराशि के एक चौथाई रकम का भुगतान देय होता है। चाहे बीमित व्यक्ति जीवित हो अथवा उसकी मृत्यु हो गई हो।

22. **चाइल्ड कैरियर योजना (तालिका क्रमांक – 184)**

उत्पाद परिचय एवम् विशेषताएँ :

यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 08 फरवरी 2007 को बच्चों के लिए प्रारम्भ की गई योजना है। यह योजना खास तौर पर बढते बच्चे से सम्बन्धित शैक्षणिक, वैवाहिक एवं अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। इस योजना के अन्तर्गत न सिर्फ पॉलिसी अवधि में बल्कि विस्तारित अवधि के दौरान भी (अर्थात् पॉलिसी अवधि समाप्त होने के सात वर्ष बाद तक) बच्चें को जोखिम सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के अन्तर्गत बच्चे के माता–पिता जिनकी स्वयं की आय हो प्रस्तावक हो सकते है। माता–पिता की अनुपस्थिति में कानूनी अभिभावक भी प्रस्तावक हो सकते है। यदि माता–पिता जीवित है तो माता/पिता की संस्तुति प्राप्त होने पर दादा/दादी भी पालिसी का प्रस्ताव कर सकते है। इस योजना में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु सीमा 0 वर्ष से 12 वर्ष तक निर्धारित है। पॉलिसी की परिपक्वता पर पालिसी धारक की आयु सीमा न्यूनतम 23 वर्ष एवम् अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 1 लाख रूपयें धनराशि से अधिकतम 1 करोड़ रूपयें धनराशि तक की बीमा पॉलिसी ली जा सकती हैं। इस योजना के अन्तर्गत जोखिम संरक्षण पॉलिसी लेने के 2 वर्ष पश्चात् या बीमित जीवन की आयु 5 वर्ष पूर्ण होने पर या उसके पश्चात् पालिसी दिवस जो भी बाद में हो प्रारम्भ होना हैं (यदि प्रवेश के समय बीमित जीवन की आयु 10 वर्ष या उससे कम हो तो)। यदि प्रवेश के समय बीमित जीवन की आयु 10 वर्ष से अधिक किन्तु 12 वर्ष से कम हैं तो जोखिम संरक्षण बीमित जीवन के 12 वें जन्म दिन पर पड़ने वाले या उसके पश्चात् के पॉलिसी दिवस पर प्रारम्भ होगा। यदि बीमित जीवन की आयु 12 वर्ष या उससे अधिक है तो जोखिम तुरन्त प्रारम्भ हो जायेगा।

निर्धारित अवधि की समाप्ति तक वीमित जीवन को निम्नलिखित लाभ देय होगा। पॉलिसी अवधि की समाप्ति की तिथि से 5 वर्ष पूर्व बीमा राशि का 30 प्रतिशत. बोनस

पालिसी अवधि की समाप्ति की तिथि से 4 वर्ष पूर्व : बीमा राशि का 15 प्रतिशत

पालिसी अवधि की समाप्ति की तिथि से 3 वर्ष पूर्व बीमा राशि का 15 प्रतिशत

पालिसी अवधि की समाप्ति की तिथि से 2 वर्ष पूर्व : बीमा राशि का 15 प्रतिशत

पालिसी अवधि की समाप्ति पर : बीमा राशि का 15 प्रतिशत. अन्तिम अतिरिक्त बोनस

मृत्यु लाभ :

1) जोखिम संरक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से अवधि समाप्ति की तिथि ने 5 वर्ष तक मृत्यु होने पर बीमा राशि. निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस. अन्तिम अतिरिक्त बोनस यदि है तो देय होगा।

2) पॉलिसी अवधि की समाप्ति से पूर्व 5 वर्ष के अन्तर्गत मृत्यु होने पर : बीमा राशि. अन्तिम अतिरिक्त बोनस यदि है देय होगा।

3) विस्तारित अवधि के दौरान मृत्यु होने पर बीमा राशि देय होगी।

4) जोखिम संरक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व मृत्यु होने परः सभी प्रदत्त प्रीमियम. / 3ः बार्षिक संचित व्याज देय होगा।

5) स्वतः संरक्षण के दौरान मृत्यु होने पर : अगले पालिसी दिवस तक देय अदत्त प्रीमियमों की कटौती करके व्याज सहित मृत्यु लाभ. निहित बोनस यदि हैं, देय होगा।

23. चाइल्ड फ्यूचर प्लान (तालिका क्रमांक – 185)

उत्पाद परिचय एवम् विशेषताएँ :

जीवन बीमा निगम ने एक नई योजना चाइल्ड फ्यूचर प्लान लाभ सहित (तालिका सं0 184) प्रारम्भ की हैं जो कि दिनॉक 8 फरवरी, 2007 से प्रभावी है। यह योजना बढ़ते हुए बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ–साथ पालिसी अवधि

एवं विस्तारित अवधि (पॉलिसी अवधि के पश्चात् 7 वर्ष हैं) के दौरान जीवन संरक्षण प्रदान करती हैं। इस योजना के अन्तर्गत बच्चें के माता तथा पिता जिनकी स्वयं की आय हो प्रस्तावक हो सकता है। यदि माता–पिता जीवित हैं तो माता/पिता की संस्तुति प्राप्त होने पर दादा/दादी भी पालिसी का प्रस्ताव कर सकता है। इस योजना में प्रवेश के लिए बच्चें की आय सीमा 0 से 12 वर्ष निर्धारित है। पॉलिसी की परिपक्वता पर पॉलिसी धारक की न्यूनतम आयु सीमा 23 वर्ष एवं अधिकतम् आयु सीमा 27 वर्ष निर्धारित है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 1 लाख रूपयें धनराशि से अधिकतम 1 करोड़ रूपयें धनराशि तक की बीमा पॉलिसी ली जा सकती है। इस योजना के अन्तर्गत जोखिम संरक्षण पॉलिसी लेने के 2 वर्ष पश्चात् या बीमित जीवन की आयु 5 वर्ष पूर्ण होने पर या उसके पश्चात् पालिसी दिवस जो भी बाद में हो पर प्रारम्भ होता है। यदि प्रवेश के समय बीमित जीवन की आयु 10 वर्ष या उससे कम हो तो)। यदि प्रवेश के समय बीमित जीवन की आयु 10 वर्ष से अधिक है किन्तु 12 वर्ष से कम हैं तो जोखिम संरक्षण बीमित जीवन के 12वें जन्म दिन पर पड़ने वाले या उसके पश्चात् पॉलिसी दिवस पर प्रारम्भ होगा। यदि बीमित जीवन की आयु 10 वर्ष से अधिक किन्तु 12 वर्ष से कम हैं तो जोखिम संरक्षण बीमित जीवन के 12वें जन्म दिन पर पड़ने वाले या उसके पश्चात् पालिसी दिवस पर प्रारम्भ होगी। यदि बीमित जीवन की आयु 12 वर्ष या उससे अधिक है तो जोखिम तुरन्त प्रारम्भ हो जाएगा।

मृत्यु लाभ :

जोखिम संरक्षण तिथि के पश्चात् मृत्यु होने पर –

1) जोखिम प्रारम्भ होने की तिथि से अवधि समाप्ति की तिथि से 5 वर्ष पूर्व तक मृत्यु होने पर – बीमा राशि. निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस. अन्तिम अतिरिक्त बोनस यदि है देय होगा।

2) यदि पॉलिसी अवधि की समाप्ति से पूर्व 5 वर्ष के अन्तर्गत मृत्यु होती है तो बीमा राशि. अन्तिम अतिरिक्त बोनस यदि है तो देय होगा।

3) विस्तारित अवधि के दौरान मृत्यु होने पर बीमा राशि देय होगी।

4) जोखिम संरक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व मृत्यु होने पर – सभी प्रदत्त प्रीमियम (अतिरिक्त एवं प्रीमियम परित्याग लाभ हेतु प्रीमियमों को छोड़कर यदि है). / 3 प्रतिशत वार्षिक संचित ब्याज देय होगा।

5) स्वतः संरक्षण के दौरान मृत्यु होने पर – अगले पॉलिसी दिवस तक देय अदत्त प्रीमियमों की कटौती करके ब्याज सहित मृत्यु लाभ. विहित बोनस यदि है देय होगा।

24. विवाह बन्दोबस्ती / शैक्षिक वार्षिय योजना (तालिका क्रमांक – 90)

उत्पाद परिचय एवम् विशेषताएँ :

यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 1 जुलाई 1985 से प्रारम्भ की गयी थी। यह एक बन्दोबस्ती योजना है । यह योजना विशेष रूप से बच्चों के भविष्य निर्माण में उपस्थित होने वाली विभिन्न आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्मित की गयी बीमा योजना है। शिक्षा विवाह, रोजगार, व्यवसाय आदि से जुड़ी आर्थिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर बीमा अवधि का चयन किया जा सकता है। परिपक्वता पर शिक्षा हेतु 10 अर्द्धवार्षिक किस्तों में राशि का भुगतान किया जाता है। परन्तु आवश्यकता पड़ने पर परिपक्वता राशि का भुगतान एक मुश्त समान कटौती के साथ भी करने का प्रावधान है। इस योजना में जोखिम प्रस्तावक के जीवन भर रहता है एवं बीमा अवधि में मृत्यु हो जाने पर शेष बची किस्तों का भुगतान नहीं करना पड़ता है। परिपक्वता पर बोनसयुक्त बीमाधन का भुगतान किया जाता है। इस योजना में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवम् अधिकतम् आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित है। परिपक्वता पर अधिकतम् आयु 70 वर्ष निर्धारित है। न्यूनतम 50,000 रूपयें धनराशि की बीमा पॉलिसी ली जा सकती हैं, यह योजना विशेष रूप से पॉलिसी धारक के बच्चों के विवाह एवं उच्च शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगी है। यदि अवधि से पूर्व पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती हैं तो उसके द्वारा नामित व्यक्ति को बीमा राशि तथा बोनस तुरन्त प्राप्त नहीं होता हैं लेकिन पॉलिसी धारक की मृत्यु के पश्चात् प्रीमियमों का भुगतान नहीं करना होगा। बीमा राशि तथा बोनस अवधि की समाप्ति पर नामित को देय होगा। यदि

पॉलिसी धारक की मृत्यु दुर्घटना के कारण होती हैं तो उसके द्वारा नामित व्यक्ति को बीमा राशि का भुगतान तुरन्त किया जाता हैं पॉलिसी की परिपक्वता पर पॉलिसी धारक समस्त धनराशि एकमुश्त ले सकता हैं या अपनी सुविधानुसार अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त अवधि का चयन कर सकता है। इस पॉलिसी की परिपक्वता पर पॉलिसी धारक को बीमा राशि तथा बोनस के साथ देय होता है। पॉलिसी धारक की मृत्यु के पश्चात् हिताधिकारी की इच्छानुसार बीमा राशि बोनस के साथ एकमुश्त या 10 अर्द्धवार्षिक किस्तों में देय होता है। दुर्घटना लाभ हेतु निर्धारित अतिरिक्त प्रीमियम अदा करने पर पॉलिसी धारक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर दुर्घटना लाभ में उपयुक्त मृत्यु लाभ के अतिरिक्त मूल बीमा राशि के बराबर अतिरिक्त धनराशि देय होता है।

25. जीवन अंकुर (तालिका संख्या – 807)

उत्पाद परिचय एवम् विशेषताएँ :

जीवन अंकुर बच्चों के लिए बनाई गई एक पारम्परिक लाभ सहित योजना हैं यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 23 जनवरी, 2012 को प्रारम्भ की गई। यह योजना विशेष रूप से बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए बनाई गई है। यदि ग्राहक 17 वर्ष की आयु तक के किसी बच्चें के माता–पिता हैं तो जीवन अंकुर योजना उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त योजना हैं, इस योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवम् अधिकतम् आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित हैं परिपक्वता पर व्यक्ति की अधिकतम आयु सीमा 75 वर्ष निर्धारित है। बच्चें के प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 0 से 17 वर्ष निर्धारित है। न्यूनतम 1 लाख रूपयें धनराशि की बीमा पॉलिसी ली जा सकती है, जबकि अधिकतम धनराशि की सीमा निर्धारित नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर मूल बीमा राशि का भुगतान नामित व्यक्ति को किया जाता है और मृत्यु की तिथि को या उसके तत्काल बाद पड़ने वाले प्रत्येक पॉलिसी बर्षगॉठ पर पॉलिसी अवधि के समाप्त होने तक नामित व्यक्ति को मूल बीमा राशि के 10 प्रतिशत के बराबर लाभ का भुगतान किया जाता है। बच्चे की मृत्यु होने की दशा में यदि बीमित व्यक्ति

जीवित है तो बीमित व्यक्ति के पास दुसरे बच्चें/ व्यक्ति को नामाकित करने का विकल्प होता है।

26. जीवन साथी (तालिका संख्या – 89)

उत्पाद परिचय एवम् विशेषताएँ :

यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दिनॉक 1 जुलाई 1985 को प्रारम्भ की गई थी यह पति–पत्नी के जीवन पर जारी की जाने वाली बन्दोबस्ती बीमा योजना है। यह योजना पति एवं पत्नी दोनों के जीवनी पर मृत्यु उपरान्त बीमा राशि के बराबर का आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। पॉलिसी अवधि के अन्त में जीवित पति या पत्नी या दोनों के जीवित रहने पर परिपक्वता लाभ मिलता हैं। इस इस योजना में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष एवं अधिकतम् आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 50,000 रूपये धनराशि की बीमा पॉलिसी ली जा सकती हैं जबकि अधिकतम धनराशि की सीमा निर्धारित नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 15 वर्ष से लेकर अधिकतम् 30 वर्ष की बीमा पॉलिसी ली जा सकती है। दाम्पत्य संगियो में पहले मरने वाले की मृत्यु पर बीमित रकम एकमुश्त देय होती हैं लेकिन अगर दोनों व्यक्तियों में से जीवित व्यक्ति उसके बाद पॉलिसी की अवधि के भीतर मर जाता है तो बीमित रकम दुबारा समस्त बोनसों के साथ एकमुश्त देय होती है। यदि बीमित व्यक्तियों में से एक या दोनों पॉलिसी की अवधि के अन्ततक जीवित रहते हैं तो भुगतान तिथि तक में घोषित समस्त बोनसों के साथ बीमित रकम देय होती है।

ब. पेंशन उत्पाद

27. नई जीवन सुरक्षा–1/ नई जीवन धारा–1 (तालिका सं0–147/148)

उत्पाद परिचय एवं विशेषताएँ :–

यह भारतीय जीवन निगम की पेंशन योजना हैं इस योजना का प्रारम्भ भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2002 को किया गया था। यह योजना उनके लिए उपयोगी

है जो अपने परिवार को नियमित एवं आवद्यिक आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति करना चाहते है इस योजना में नई जीवन सुरक्षा योजना ता0स0 147 के अन्तर्गत प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवम् अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित है इसी प्रकार नई जीवन धारा–1 तालिका सं0–148 में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवम् अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित हैं। पॉलिसी धारक के वृत्ति प्राप्त करने की न्यूनतम आयु 50 वर्ष एवम् अधिकतम आयु 79 वर्ष निर्धारित है। इन योजनाओं के अन्तर्गत काल्पनिक नकद विकल्प (इस राशि पर पेंशन/वार्षिकी की गणना करके पॉलिसीधारक को प्रदान की जाती हैं) की न्यूनतम धनराशि 50,000 रू0 हैं। परिपक्वता पर बोनस तथा अंतिम अतिरिक्त बोनस (यदि है) सहित काल्पनिक नकद विकल्प को वार्षिकी में परिवर्तित कर दिया जाता हैं। पॉलिसीधारक वार्षिक क्रय मूल्य का 25 प्रतिशत रूपान्तरित मूल्य (अन्तिम काल्पनिक नकद विकल्प का 25 प्रतिशत + बोनस की प्राप्ती का विकल्प रूपान्तरित मूल्य कहलाता हैं) के रूप में प्राप्त कर सकता हैं तथा शेष राशि को वार्षिको में परिवर्तित कर दिया जाता हैं। पॉलिसीधारक की मृत्यु पर पॉलिसी के अन्तर्गत भुगतान किये गये प्रीमियमों को नामिति को निम्नानुसार वापस कर दिया जाता हैं– 1. यदि पॉलिसीधारक की मृत्यु 10 वर्ष के अन्दर हो जाती हैं तो भुगतान किए गये प्रीमियमों को 3 प्रतिशत वार्षिक दर से संयोजित च0 ब्याज सहित वापस किया जाता है यदि पॉलिसीधारक की मृत्यु 11 वर्ष 20 वर्ष के बीच में होती है तो पॉलिसीधारक के नामित व्यक्ति को भुगतान किये गये प्रीमियमों का 4 प्रतिशत वार्षिक दर से संयोजित च0 ब्याज सहित वापस किया जाता हैं। यदि पॉलिसीधारक की मृत्यु 20 वर्ष पश्चात् होती हैं तो पॉलिसीधारक के द्वारा नामित व्यक्ति को भुगतान किये गये प्रीमियमों को 5 प्रतिशत वार्षिक पर से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस किया जाता हैं। पॉलिसी के अन्तर्गत न्यूनतम देय पेंशन की राशि 250 रू हैं।

पॉलिसी के गुण :

इस पॉलिसी के अन्तर्गत कम से कम पूरे दो वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करने के पश्चात् यदि कोई प्रीमियम उचित समय पर अदा नहीं किया जाता है तो पॉलिसी पूर्णतया समाप्त नहीं

होती हैं बल्कि काल्पनिक नकद विकल्प राशि (जिस राशि पर पेंशन वार्षिकी की गणना की जाती है) का वह भाग कम कर दिया जाता है।

पॉलिसी के दोष :

इस पॉलिसी के अन्तर्गत पॉलिसीधारक को ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं हैं।

28. जीवन निधि (तालिका सं0–169)

उत्पाद परिचय एवं विशेषताएँ :–

यह योजना लाभ सहित विलम्बित वार्षिक (पेंशन) योजना हैं। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दिनांक 29 अगस्त 2004 को प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत पॉलिसी अवधि के पश्चात् पॉलिसीधारक की विद्यमानता पर संयोजित धनराशि (बीमा राशि + सुनिश्चित लाभ + बोनस) का प्रयोग पॉलिसीधारक को पेंशन प्रदान करने में किया जाता हैं। विलम्बित अवधि (पॉलिसी प्राप्त करने की तिथि तथा वृत्ति प्राप्त करने की तिथि के बीच का अन्तर) अवधि के दौरान यह योजना जोखिम संरक्षण भी प्रदान करती है। इस योजना प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवम् अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित है। वृत्ति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 40 वर्ष एवम् अधिकतम आयु 75 वर्ष निर्धारित हैं। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 50000 रू0 की बीमा पॉलिसी ली जा सकती हैं जबकि अधिकतम धनराशि की सीमा निर्धारित नहीं है।

वृत्ति प्राप्ति पर लाभ :

मूल योजना के अन्तर्गत बीमा राशि + प्रथम 5 वर्षो के लिए 50 रू0 प्रति हजार बीमा राशि की दर से सुनिश्चित लाभ + 6 वे वर्ष से आगे तक का बोनस (यदि हैं) तो वार्षिकी के रूप में परिवर्तित हो जायेगा। संचित सुनिश्चित लाभ सहित मूल योजना के अन्तर्गत बीमा राशि 1/3 + साधारण बोनस + आवधिक बोनस (यदि हैं) के विनिमय का विकल्प होगा। यदि विनिमय का उपयोग किया जाता है तो वार्षिकी केवल शेष धनराशि पर देय होगी।

वृत्ति प्राप्ति के पश्चात लाभ :–

वृत्ति प्राप्ति पर बीमित व्यक्ति जीवन बीमा निगम या किसी अनय बीमा कम्पनी से वृत्ति प्राप्त कर सकता हैं। यदि किसी अनय कम्पनी से वृत्ति खरीदी जाती हैं तो वृत्ति प्राप्ति की तिथि से 3 माह पूर्व जीवन बीमा निगम को लिखित सूचना दी जानी चाहिए। यदि वार्षिकी जीवन बीमा निगम द्वारा खरीदी जाती हैं तो वार्षिकी का प्रकार एवं दरें वृत्ति प्राप्ती के समय लागू वार्षिकी के प्रकार एवं दरों के अनुसार ही होंगे।

वृत्ति प्राप्ति से पूर्व मृत्यु लाभ :–

पॉलिसी की विलम्बित अवधि (पॉलिसी प्राप्त करने की तिथि तथ वृत्ति प्राप्त करने की तिथि) के दौरान बीमित की मृत्यु होने पर मूल योजना के अन्तर्गत बीमा राशि के बराबर धनराशि लाभ तथा बोनस के साथ नामित व्यक्ति को देय होगा।

30. जीवन अक्षय–6 (तालिका सं0–189)

उत्पाद परिचय एवं विशेषताएँ :–

यह भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित त्वरित वृत्ति योजना है। इस योजना का प्रारम्भ भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दिनांक 10 सितम्बर 2007 का किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत वृत्ति ग्राही को आजीवन वृत्ति का भुगतान किया जाता हैं इस योजना के अन्तर्गत वृत्ति के भुगतान की अवधि और तरीकों के विभिन्न विकल्प उपलब्ध होते हैं। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं–

1– जीवन भर के लिए नियमित वृत्ति की प्राप्ती।

2– वृत्ति का भुगतान 5, 10, 15 अथवा 20 वर्षो के लिए निश्चित रूप से और उसके बाद जब तक वृत्तिग्राही जीवित हो तब तक वृत्ति का भुगतान।

3– आजीवन वृत्ति जिसमें वृत्ति ग्राही की मृत्यु की स्थित में खरीदी कीमत की वापसी हो सकती हैं।

4– 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की साधारण दर से बढ़ती वृत्ति।

5– आजीवन वृत्ति जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि वृत्तिग्राही को मृत्यु की सुरत में 50 प्रतिशत वृत्ति जीवनसाथी को मिले।

6– आजीवन वृत्ति जिसमें यह प्रावधान हैं कि वृत्तिग्राही की मृत्यु को स्थित में 100 प्रतिशत वृत्ति जीवन को मिले।

इन सभी विकल्पों में से केवल एक विकल्प का चयन किया जा सकता हैं

इस योजना के अन्तर्गत प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 40 वर्ष एवम् अधिकतम आयु सीमा 79 वर्ष निर्धारित हैं। वृत्ति प्राप्ति के लिए व्यक्ति की आयु सीमा 79 वर्ष निर्धारित हैं। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम वार्षिक किस्त वार्षिक 3000/– रू0 अर्द्धवार्षिक 2000 रू0 त्रैमासिक 1000 रू0 मासिक 500रू0 हैं।

पालिसी के दोष

1– इस पॉलिसी पर ऋण सुविधा नही हैं।

2– इस पॉलिसी का समर्पण नहीं किया जा सकता हैं।

3– इस पॉलिसी का समानुदेशन भी नहीं किया जा सकता है।

31. अमूल्य जीवन–1 (तालिका सं0–190)

उत्पाद परिचय एवं विशेषताएँ :–

अमूल्य जीवन–1 (तालिका–190) को 18 फरवरी 2008 से अमूल्य जीवन (तालिका –177) के स्थान पर लागू किया गया है तथा अमूल्य जीवन (तालिका –177) को 18 फरवरी 2008 से वापस ले लिया गया है। जोखिमपूर्ण व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों के लिए यह योजना उपयुक्त हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवम् अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित हैं पॉलिसी की परिपक्वता आयु 70 वर्ष हैं। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 5 वर्ष से लेकर अधिकतम 35 वर्ष तक की बीमा पॉलिसी ली जा सकती हैं। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 25 लाख रू0 तक की बीमा पॉलिसी ली जा सकती है जबकि अधिकतम कोई सीमा निर्धारित नहीं हैं। इस योजना के अन्तर्गत पॉलिसी की

परिपक्वता तक पॉलिसीधारक के जीवित रहने पर पॉलिसीधारक को कोई परिपक्वता धनराशि प्रदान नहीं की जाती हैं। पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को मूल बीमा राशि देय होता है।

दोष :–

1– इस पॉलिसी के अन्तर्गत पॉलिसीधारक को ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं है और पॉलिसी का समर्पण भी नहीं किया जा सकता हैं।

2– पॉलिसी की परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर यदि पॉलिसीधारक जीवित रहता है तो उसे कोई भी परिपक्वता राशि प्रदान नहीं की जाती हैं।

स. युनिट सम्बद्धित उत्पाद

32. मार्केट प्लस–1 (तालिका संख्या–191)

उत्पाद परिचय एवं विशेषताएँ :–

यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 17 जून 2008 से प्रभावी है। यह नियमित एव एकल प्रीमियम वाली यूनिट लिंक्ड विलम्बित पेंशन योजना हैं। पॉलिसीधारक अपनी इच्छानुसार संरक्षण सहित या रहित विधि से योजना का चयन कर सकता हैं। पॉलिसीधारक द्वारा भुगतान विधि तथा चयनित प्रीमियम राशि के आधार पर सीमाओं के अन्तर्गत संरक्षण के स्तर का चयन कर सकता है। आवंटित प्रीमियम का उपयोग चयनित विधि के प्रकार के आधार पर इकाईयाँ खरीदने में किया जायेगा। इकाईयों को क्रय करने के लिए आवंटित प्रीमियम विभिन्न प्रकार की विधियों के लिए निर्धारित निवेश की पद्धति के अनुसार होगा। निधियों के प्रकार तथा उनके निवेश की पद्धति निम्नानुसार है :–

निधियों के प्रकार	राजकीय / राज कीय गांरटेड प्रति भूतियों / निगमित ऋण में निवेश	अल्प अवधि निवेश जैसे कि मुद्रा बाजार में निवेश (राजकीय प्रतिभूतियों व निगमित ऋण सहित)	सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों में निवेश
बांड फण्ड	60% से कम नहीं	40% से अधिक नहीं	शून्य
सुरक्षित फण्ड	45% से कम नहीं	40% से अधिक नहीं	15% से कम तथा 55% से अधिक नहीं
सन्तुलित फण्ड	30% से कम नहीं	40% से अधिक नहीं	30% से कम तथा 70% से अधिक नहीं
वृद्धि फण्ड	20% से कम नहीं	40% से अधिक नहीं	70% से कम तथा 80% से अधिक नहीं

योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति की आयु (जीवन संरक्षण के बिना) न्यूनतम 18 वर्ष एवम् अधिकतम 74 वर्ष तथा (जीवन संरक्षण के साथ) न्यूनतम 18 वर्ष एवम् अधिकतम 65 वर्ष निर्धारित हैं। जीवन संरक्षण के साथ न्यूनतम 25000रू0 धनराशि की बीमा पॉलिसी ली जा सकती हैं जबकि जीवन संरक्षण के बिना पॉलिसी लेने के लिए कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं हैं

यदि जीवन संरक्षण का विकल्प लिया गया है तथा पॉलिसी पूर्णतया संचालित है तो विलम्बित अवधि के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु नामिनी को देयता की तिथि को मौजूद निधि मूल्य के साथ–साथ मूल योजना के अन्तर्गत बीमा राशि प्राप्त होती है। यह लाभ एक मुश्त या पेंशन के रूप में या एक मुश्त तथा पेंशन संयुक्त रूप में जैसा चाहे प्राप्त हो सकता हैं। यदि पॉलिसी बिना जीवन संरक्षण के ली गयी है तो उपर्युक्त आधार पर देयता की निधि को नामिनी निधि–मूल्य एक मुश्त या पेंशन के रूप में या एकमुश्त तथा पेंशन के रूप में अपनी इच्छानुसार प्राप्त कर सकता है। यदि पॉलिसी कालातीत अवस्था में है तो नामिनी

पॉलिसीधारक को निधि से मौजूद निधि मूल्य या तो एकमुश्त या पेंशन के रूप मे अपनी इच्छानुसार प्राप्त कर सकता हैं।

33. मनी प्लस–1 (तालिका सं0–193)

उत्पाद परिचय एवं विशेषताएँ :–

इस योजना का प्रारम्भ भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 22 मई 2008 को किया गया था। मनी प्लस एक यूनिट लिंक्ड बन्दोबस्ती एवं नियमित प्रीमियम भुगतान अवधि वाली योजना हैं जो कि पॉलिसी अवधि के दौरान निवेश बनाम बीमा प्रदान करती है। पॉलिसीधारक निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत संरक्षण के स्तर का चयन कर सकता हैं जो कि चयनित अवधि भुगतान विधि तथा प्रीमियम की राशि जिसका वह भुगतान विधि के प्रकार के आधार पर इकाइयों को खरीदने में किया जाता हैं। इकाइयों का आवंटन एवं निरस्तीकरण आवंटन/निरस्तीकरण की तिथि को सम्बन्धित निधि के नकद सम्पत्ति मूल्य के आधार पर किया जाता है। इकाइयों को क्रय करने के लिए आवंटित प्रीमियम विभिन्न प्रकार की निधियों के लिए निर्धारित निवेश की पद्धति के अनुसार होता हैं। निधियों के प्रकार तथा निवेश की पद्धति निम्नानुसार है :–

निधियों के प्रकार	राजकीय/राज कीय गांरटेड प्रति भूतियों/ निगमित ऋण में निवेश	अल्प अवधि निवेश जैसे कि मुद्रा बाजार में निवेश (राजकीय प्रतिभूतियों व निगमित ऋण सहित)	सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों में निवेश
बांड फण्ड	60% से कम नहीं	40% से अधिक नहीं	शून्य
सुरक्षित फण्ड	45% से कम नहीं	40% से अधिक नहीं	15% से कम तथा 55% से अधिक नहीं

सन्तुलित फण्ड	30% से कम नहीं	40% से अधिक नहीं	30% से कम तथा 70% से अधिक नहीं
वृद्धि फण्ड	20% से कम नहीं	40% से अधिक नहीं	70% से कम तथा 80% से अधिक नहीं

इस योजना में प्रवेश इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 0 वर्ष एवम् अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित है पॉलिसी की परिपक्वता पर व्यक्ति की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवम् अधिकल्प 75 वर्ष निर्धारित है। इस योजना में नियमित प्रीमियम हेतु न्यूनतम बीमा राशि वार्षिक प्रीमियम का 5 गुना तथा नियमित प्रीमियम हेतु अधिकतम बीमा राशि यदि प्रवेश के समय आयु 45 वर्ष तक है तो वार्षिक प्रीमियम का 30 गुना तथा यदि प्रवेश के समय आयु 46 वर्ष है तो वार्षिक प्रीमियम 20 गुना एवं प्रवेश के समय आयु 61 वर्ष है तो वार्षिक प्रीमियम का 10 गुना।

यदि संरक्षण के पूर्णतया संचालित रहने पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है तो नामिनी को मूल योजना के अन्तर्गत बीमा राशि या देयता की तिथि को पॉलिसीधारक की निधि में मौजूद इकाइयों का मूल्य प्राप्त होता हैं।

34. जीवन भारती–1 (तालिका 192)

उत्पाद परिचय एवं विशेषताएँ :–

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 30 जुलाई 2008 से जीवन भारती (तालिका सं0–160) को वापस ले लिया जाता है जिसके स्थान पर जीवन भारती–1 (तालिका सं0–192) को दिनांक 30 जुलाई 2008 से प्रारम्भ किया गया हैं। जीवन भारती–1 की रचना विशेष रूप से महिलाओं के लिए की गई हैं। यह एक धन वापसी योजना है। इस योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवम् अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित है। परिपक्वता पर

व्यक्ति की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित है। न्यूनतम 50,000 रू0 से लेकर अधिकतम 25,00,000 रू0 धनराशि तक की बीमा पॉलिसी ली जा सकती हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रीमियम का भुगतान केवल वार्षिक आधार पर किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत 15 तथा 20 वर्ष अवधि तक की बीमा पॉलिसी ली जा सकती हैं। इस योजना के अन्तर्गत पॉलिसीधारक को 20 वर्ष की अवधि हेतु प्रत्येक 5 वर्ष 10 वर्ष एवम् 15 वर्ष के अन्त में बीमा राशि का 20 प्रतिशत देय होता हैं इसी प्रकर 15 वर्ष की अवधि के लिए 5 वर्ष एवम् 10 वर्ष की समाप्ति पर बीमा राशि का 20 प्रतिशत देय होता हैं। पॉलिसी की परिपक्वता पर 15 वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए बीमा राशि का 60 प्रतिशत बोनस के साथ देय होता हैं। इसी प्रकार 20 वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए बीमा राशि का 40 प्रतिशत बोनस के साथ देय होता हैं। पॉलिसीधारक की मृत्यु की स्थित में पॉलिसीधारक द्वारा नामित व्यक्ति को बीमा राशि के बराबर धनराशि देय होगी।

35. चाइल्ड फॉर्चून प्लस (तालिका 194)

उत्पाद परिचय एवं विशेषताएँ :

1 नवम्बर 2008 से भारतीय जीवन बीमा निगम की चाइल्ड फॉर्चून प्लस योजना तालिका संख्या–194 को लागू करने का निर्णय लिया गया था। यह एक यूनिट लिंकड योजना है जो कि पॉलिसी में नामिती बच्चे की शैक्षिक एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हैं। यह पॉलिसी 17 वर्ष तक की आयु के बच्चे के अभिभावकों के लिए अनुमत हैं। इस योनजा के अन्तर्गत जोखिम संरक्षण अभिभावक के जीवन पर होता है न कि बच्चे के जीवन पर किन्तु पॉलिसी बच्चे की आयु के आधार पर अनुमत होगी। यह योजना बच्चे की आयु 25 वर्ष होने तक या बीमित जीवन की आयु 75 वर्ष होने तक जारी रहती हैं।

प्रवेश के समय आयु–

बीमित जीवन हेतु : न्यूनतम 18 वर्ष

अधिकतम 55 वर्ष

बच्चे के लिए न्यूनतम आयु – 0 वर्ष

प्रवेश के समय प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवम् अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित है। बच्चे के लिए न्यूनतम आयु सीमा 0 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 17 वर्ष निर्धारित है पॉलिसी की परिपक्वता की आयु बच्चे की आयु सीमा 25 वर्ष तथा बीमित जीवन की आयु सीमा 75 वर्ष जो पहले हो।

नियमित प्रीमियम पॉलिसियों हेतु न्यूनतम बीमा धन राशि वार्षिक प्रीमियम का पॉच गुना होगी जबकि एकल प्रीमियम पॉलिसियों हेतु न्यूनतम बीमा धन राशि एकल प्रीमियम का 1.25 गुना होता है। नियमित प्रीमियम पालिसियों हेतु अधिकतम बीमा राशि प्रवेश के समय आयु 45 वर्ष तक के लिए वार्षिक प्रीमियम का 25 गुना जबकि प्रवेश के समय आयु 46 वर्ष तक के लिए तथा अधिक के लिए वार्षिक प्रीमियम का 15 गुना निर्धारित हैं।

एकल प्रीमियम पॉलिसियों हेतु :–

यदि प्रवेश के समय आयु 35 वर्ष तक हैं तो एकल प्रीमियम का 5 गुना जबकि यदि प्रवेश के समय आयु 36 वर्ष से 45 वर्ष हैं तो एकल प्रीमियम का 2–5 गुना और यदि प्रवेश के समय आयु 46 वर्ष तथा अधिक हैं तो एकल प्रीमियम का 1.25 गुना होगा।

मृत्यु लाभ :–

यदि बच्चा जीवित है तो पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित जीवन की मृत्यु हो जाती हैं तथा पॉलिसी पूर्ण तथा संचालित हैं तो नामित को बीमा राशि देय होती है। नियमित प्रीमियम पॉलिसी के मामले में भी जबकि पॉलिसी पूर्णतः संचालित हैं तो भविष्य में देय प्रीमियमों का परित्याग कर दिया जाता हैं।

बच्चे की मृत्यु के पश्चात् बीमित जीवन की मृत्यु होने पर बीमा राशि + अदत्त प्रीमियमों (यदि हैं) सहित भविष्य के सभी प्रिमियमों के बराबर की राशि पॉलिसीधारक के निधि मूल्य के साथ नामित/काननूी उत्तराधिकारी को देय होगा तथा पॉलिसी समाप्त हो जायेगी।

बीमित जीवन की मृत्यु से पहले बच्चे की मृत्यु पर परिपक्वता तक या बीमित जीवन की विद्यमानता तक जो भी पहले हो पॉलिसी जारी रहती हैं। जबकि बीमित जीवन की

मृत्यु के पश्चात् बच्चे की मृत्यु पर बीमित जीवन के कानूनी उत्तराधिकारी को इकाइयों के निधि मूल्य के बराबर राशि देय होगी तथा पॉलिसी समाप्त हो जायेगी।

परिपक्वता लाभ :–

परिपक्वता विधि तक बीमित जीवन या बच्चा नामिनी की विद्यमानता पर पॉलिसीधारक के निधि मूल्य के बराबर राशि देय होगी।

36. जीवन साथी प्लस (तालिका सं0–197)

उत्पाद परिचय एवं विशेषताएँ :–

इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम ने 29 जून 2009 से प्रारम्भ किया था। यह एक यूनिट लिंक्ड योजना है जिसमें एक ही योजना के अन्तर्गत पति व पत्नी अपने जीवनों पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवम् अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निधि निर्धारित हैं तथा 10 से 20 वर्ष की पॉलिसी अवधि का बीमा किया जा सकता है। बीमित प्रमुख जीवन तथा बीमित जीवन साथी जोखिम संरक्षण की पृथक पृथक राशि का चयन कर सकते हैं। बीमित प्रमुख जीवन पॉलिसी वर्ष के दौरान किसी भी समय एक बार अपना तथा जीवन साथी का जोखिम संरक्षण कम कर सकता हैं। पॉलिसी का समर्पण तीन वर्ष बाद किया जा सकता हैं। समर्पण मूल्य के रूप में पॉलिसी निधि का भुगतान किया जायेगा तथा कोई समर्पण प्रभार देय नहीं होता है। आंशिक आहरण तीन वर्ष बाद अनुमत हैं किन्तु निधि में एकल प्रीमियम के मामले में 10 प्रतिशत तथा नियमित प्रीमियम के मामले में 2 वार्षिक प्रीमियमों की राशि रहनी चाहिए। इस योजना में आंशिक आहरण सुविधा के साथ बिना किसी रूकावट के दावा राशि का पुननिवेश (बीमित प्रमुख जीवन की मृत्यु पर) उपलब्ध है। तीन वर्ष पश्चात् प्रीमियम भुगतान किये बिना जोखिम संरक्षण जारी रहने का विकल्प उपलब्ध है। इक्विटी शेयरों के साथ चार विधियाँ उपलब्ध हैं तथा पॉलिसी लेते समय एक निधि का चयन करना होता है। कालातीत पॉलिसी का पुनर्चलन प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से 2 वर्ष के अन्दर किया जा सकता हैं। एक वर्ष में 4 परिवर्तन निशुल्क किये जा सकते हैं तथा उसी वर्ष में अतिरिक्त परिवर्तन 100 रू0 प्रति परिवर्तन प्रभार देय

होगा। इस प्रकार की संयुक्त जीवन योजना के साथ कम से कम तीन विशेष लाभ उपलब्ध होते हैं।

1–इसका मूल काम होता है।

2–जीवित भागीदार को बिना कोई खास असुविधा पहुँचाये गिरवी ऋणों को मुक्त कराने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता हैं। संक्षेप में 'जीवन साथी' जोड़ों के लिए एक अच्छी योजना हैं विशेष रूप से काम करने वाले या व्यवसायियों के लिए क्योंकि यह दोनों जीवनों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं। इकाइयों को खरीदने के लिए आवंटित प्रीमियमों का निवेश विभिन्न निधि प्रकारों के लिए निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाएगा। निधि के प्रकार एवं निवेश की पद्धति निम्नानुसार हैं –

निधियों के प्रकार	राजकीय / राजकीय गांरटेड प्रति भूतियों / निगमित ऋण में निवेश	अल्प अवधि निवेश जैसे कि मुद्रा बाजार में निवेश (राजकीय प्रतिभूतियों व निगमित ऋण सहित)	सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों में निवेश	जोखिम / वापसी हेतु विधि का विवरण एवं उद्देष्य
बांड फण्ड	60% से कम नहीं	40% से अधिक नहीं	शून्य	कम जोखिम
सुरक्षित फण्ड	45% से कम नहीं	40% से अधिक नहीं	15% से कम तथा 55% से अधिक नहीं	स्थिर आय कम से कम मध्यम जोखिम
सन्तुलित फण्ड	30% से कम नहीं	40% से अधिक नहीं	30% से कम तथा 70% से अधिक नहीं	सन्तुलित आय तथा वृद्धि मध्यम जोखिम

वृद्धि फण्ड	20% से कम नहीं	40% से अधिक नहीं	40% से कम तथा 80% से अधिक नहीं	दीर्घ अवधि पूँजी वृद्धि उच्च जोखिम

पॉलिसीधारक उपयुक्त चार निधियों में से किसी भी एक निधि का चयन कर सकता है।

(1) न्यूनतम बीमा राशि –

नियमित प्रीमियम पॉलिसियों हेतु बीमित प्रमुख जीवन तथा बीमित जीवन साथी प्रत्येक के वार्षिक प्रीमियम का 5 गुना।

एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए न्यूनतम सीमा बीमित प्रमुख जीवन तथा बीमित जीवन साथी प्रत्येक के लिए न्यूनतम सीमा बीमित प्रमुख जीवन तथा बीमित जीवन साथी प्रत्येक के एकल प्रीमियम का 1.25 गुना।

2– अधिकतम बीमा राशि –

बीमित प्रमुख जीवन तथा बीमित जीवन साथी दोनों का संयुक्त रूप से नियमित प्रीमियम पॉलिसीयों के लिए यदि प्रवेश के समय दोनों जीवनों की आयु 40 वर्ष तक हैं तो वार्षिक प्रीमियम का 30 गुना परन्तु यदि प्रवेश के समय किसी भी एक जीवन की आयु 41 वर्ष तथा अधिक है तो वार्षिक प्रीमियम का 20 गुना। एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए यदि प्रवेश के समय दोनों जीवनों की आयु 40 वर्ष तक हैं तो एकल प्रीमियम का 5 गुना और यदि प्रवेश के समय किसी भी एक जीवन की आयु 41 वर्ष तथा अधिक है तो एकल प्रीमियम का 2.5 गुना।

परिपक्वता लाभ :–

बीमित प्रमुख जीवन या बीमित जीवन साथी जो भी स्थिति हो को पॉलिसी का निधि मूल्य दिया जायेगा। निपटारे के विकल्प में परिपक्वत राशि प्राप्त करने का विकल्प है।

मृत्यु लाभ :–

बीमित जीवन साथी के जीवित रहने तथा बीमित प्रमुख जीवन की मृत्यु होने की स्थित में बीमित जीवन साथी को बीमा राशि का भुगतान किया जायेगा तथा भविष्य में देय प्रीमियमों का परित्याग कर दिया जायेगा व उन्हें इकाइयों के रूप में पॉलिसी निधि में जोड़ दिया जायेगा व पॉलिसी जारी रहेगी।

बीमित प्रमुख जीवन के जीवित रहने तथा बीमित जीवन साथी की मृतयु होने पर बीमा प्रमुख जीवन को बीमा राशि का भुगतान किया जायेगा तथा पॉलिसी जारी रहेगी।

बीमित जीवन साथी की मृत्यु के बाद बीमित प्रमुख जीवन की मृत्यु होने पर नामित या कानूनी उत्तराधिकारी को बीमित प्रमुख जीवन की बीमा राशि के साथ–साथ भविष्य में देय सभी प्रीमियम के साथ पॉलिसी के निधि मूल्य का भुगतान किया जायेगा।

बीमित प्रमुख जीवन की मृत्यु के बाद बीमित जीवन साथी की मृत्यु होने पर नामित या कानूनी उत्तराधिकारियों को बीमित जीवन साथी की बीमा राशि के साथ पॉलिसी के निधि मूल्य का भुगतान किया जाता है।

बीमित प्रमुख जीवन तथा बीमित जीवन साथी की एक साथ मृत्यु होने पर नामित या कानूनी उत्तराधिकारी को बीमित प्रमुख जीवन तथा बीमित जीवन साथी दोनों की बीमा राशि के साथ–साथ भविष्य में देय सभी प्रीमियम तथा पॉलिसी के निधि मृत्यु का भुगतान किया जाता हैं।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी नवीन उत्पादों का विवरण

1. **न्यू एण्डॉवमेन्ट प्लान (तालिका संख्या–814)**
2. **न्यू जीवन आनन्द (तालिका संख्या–815)**
3. **न्यू बीमा बचत (तालिका संख्या–816)**
4. **सिंगल प्रीमियम एण्डॉवमेन्ट प्लान (तालिका संख्या–817)**
5. **न्यू जीवन विधि (तालिका संख्या–818)**
6. **न्यू मनी बैंक प्लान (तालिका संख्या–820)**
7. **न्यू मनी बैंक प्लान (तालिका संख्या–821)**

8. अनमोल जीवन–।। (तालिका संख्या–822)

9. अमूल्य जीवन –।। (तालिका संख्या–823)

10. जीवन रक्षक (तालिका संख्या–827)

1. न्यू एण्डॉवमेन्ट प्लान (तालिका संख्या–814)

उत्पाद परिचय एवं विशेषतायें :–

भारतीय जीवन बीमा निगम ने 3 जनवरी 2014 से न्यू एण्डॉवमेन्ट प्लान (तालिका सं0 814) जारी किया हैं। इस योजना की विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) 512 N277V01 है जो कि पॉलिसीधारकों तथा अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार सभी सम्बन्धित दस्तावेजों पर अंकित रहता है। यह एक सुनिश्चित लाभ सहित बन्दोबस्ती योजना है। इस योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 8 वर्ष एवम् अधिकतम् आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित है तथा परिपक्वता पर अधिकतम आयू सीमा 75 वर्ष निर्धारित हैं बीमा पॉलिसी में प्रवेश का इच्छुक व्यक्ति न्यूनतम 12 वर्ष से लेकर अधिकतम 30 वर्ष तक की अवधि की बीमा पॉलिसी ले सकता हैं इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 100000 रू0 धनराशि तक की बीमा पॉलिसी ली जा सकती है। जबकि अधिकतम की सीमा निर्धारित नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत यदि बीमित जीवन सम्पूर्ण अवधि तक विद्यमान रहता हैं तो उसे मूल बीमित राशि + निहित सामान्य प्रत्यावर्ती बोनस + अंतिम अतिरिक्त बोनस यदि है प्राप्त होगा। यदि पॉलिसी अवधि में बीमित जीवन की मृत्यु होती हैं उसके नामिनी को मृत्यु पर बीमा राशि जो कि मूल बीमाराशि को 125 प्रतिशत से अधिक है या वार्षिक प्रीमियम का 10 गुना + निहित सामान्य प्रत्यावर्ती बोनस है + अंतिम अतिरिक्त बोनस यदि हैं देय होगा।

दुर्घटना से मृत्यु तथा अक्षमता लाभ आरोहक – दुर्घटना से मृत्यु एवं अपंगता लाभ आरोहक वैकल्पिक आरोहक के रूप में पॉलिसी अविध के दौरान अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर 1.00 रू0 प्रति हजार दुर्घटना लाभ बीमा राशि है यदि उपरलिखित 10 वर्षो की समाप्ति से पूर्व ही बीमित जीवन की मृत्यु के कारण या परिपक्वता के कारण दावा उत्पन्न

होता हैं तो अपंगता लाभ की शेष किस्तों का भुगतान दावा राशि के साथ ही कर दिया जायेगा।

2. न्यू जीवन आनन्द (तालिका संख्या–815)

उत्पाद परिचय एवं विशेषताएँ :–

भारतीय जीवन बीमा निगम ने 8 जनवरी 2014 से प्रभावी न्यू जीवन आनन्द (तालिका सं0 815) को जारी किया गया है। यह लाभ सहित योजना बन्दोबस्ती एवम् आजीवन बीमा का समन्वय हैं। इस योजना के अन्तर्गत चयनित अवधि के दौरान प्रीमियमों का भुगतान नियमित रूप से किया जायेगा। इस योजना की विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) 512 N279V01 है जो कि पॉलिसीधारकों तथा अन्य उपयोगकर्ताओं (सार्वजनिक, वितरण माध्यमों) के लिए सभी सम्बन्धित दस्तावेजों पर अंकित की जानी चाहिए। इस योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवम् अधिकतम् आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित है तथा परिपक्वता पर अधिकतम आयू सीमा 75 वर्ष निर्धारित है। इस योजना के अन्तर्गत प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति न्यूनतम 15 वर्ष से लेकर अधिकतम 35 वर्ष तक की बीमा पॉलिसी ले सकता है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम बीमा राशि 1,00,000 रू0 है जबकि अधिकतम बीमा राशि की सीमा निर्धारित नहीं है। यदि बीमित जीवन सम्पूर्ण अवधि तक विद्यमान रहता हैं तो उसे मूल बीमित राशि निहित सामान्य प्रत्यावर्ती बोनस + अंतिम अतिरिक्त बोनस आदि हैं प्राप्त होगा। यदि पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित जीवन की मृत्यु होती है तो उसके नामिनी को मृत्यु पर बीमा राशि जो कि मूल बीमा राशि के 125 प्रतिशत से अधिक है या वार्षिक प्रीमियम X 10 + निहित सामान्य प्रत्यावर्ती बोनस + अंतिम अतिरिक्त बोनस यदि है प्राप्त होगा।

3. न्यू बीमा बचत (तालिका संख्या–816)

उत्पाद परिचय एवं विशेषताएँ :–

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 7 जनवरी 2014 से प्रभावी न्यू बीमा बचत (तालिका सं0 816) प्राप्त की गई है। यह एकल प्रीमियम लाभ – सहित धन वापसी योजना है। इस योजना की विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) 512 N284V01 है जो कि पॉलिसीधारकों तथा अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार सभी दस्तावेजों पर अंकित होता है। इस योजना में प्रवेश के

इच्छुक व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष एवम् अधिकतम् आयु सीमा 66 वर्ष निर्धारित है तथा परिपक्वता पर अधिकतम आयू सीमा 75 वर्ष निर्धारित है। इस योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति के लिए न्यूनतम अवधि 9 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष तथा अधिकतम पॉलिसी अवधि 9 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष निर्धारित है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम बीमा राशि 35,000, 50,000 एवं 70,000 रू0 क्रमश 9 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित है जबकि अधिकतम बीमा राशि की कोई सीमा नहीं है।

लाभ :–

1– विद्यमानता लाभ –

यदि बीमित जीवन निर्धारित अवधियों तक जीवित रहता है तो निम्नानुसार लाभ प्राप्त होगे।

9 वर्ष पॉलिसी अवधि हेतु – 3 वें व 6 वें प्रत्येक पॉलिसी वर्ष की समाप्ति पर बीमा राशि का 15 प्रतिशत।

12 वर्ष पॉलिसी अवधि हेतु – 3 वें व 6 वें एवं 9 वें प्रत्येक पॉलिसी वर्ष की समाप्ति पर बीमा राशि का 15 प्रतिशत धनराशि पॉलिसीधारक को प्राप्त होगा।

15 वर्ष पॉलिसी अवधि हेतु – 3 वें व 6 वें व 9 वें एवं 12वें प्रत्येक पॉलिसी वर्ष की समाप्ति पर बीमा राशि का 15प्रतिशत धनराशि पॉलिसीधारक को प्राप्त होगा।

2– परिपक्वता लाभ –

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी अवधि की समाप्ति तक जीवित रहता है तो उसे एकल प्रीमियम + सहभागिता लाभ यदि है – कर तथा अतिरिक्त प्रीमियम यदि है प्राप्त होगा।

मृत्यु लाभ :–

यदि प्रथम पाँच पॉलिसी वर्ष के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होती है तो नामिनी को बीमा राशि प्राप्त होगी। यदि पाँच पॉलिसी वर्षो की पूर्णता के पश्चात् बीमित व्यक्ति की मृत्यु होती है तो नामिनी को बीमा राशि – सहभागिता लाभ यदि हैं प्राप्त होगा।

4. सिंगल प्रीमियम एण्डॉवमेन्ट प्लान (तालिका संख्या–817)

उत्पाद परिचय एवं विशेषताएँ :–

भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1 जनवरी 2014 से सिंगल प्रीमियम एण्डॉवमेन्ट योजना (तालिका सं0 817) जारी की गई है। यह एकल प्रीमियम पारम्परिक लाभ–सहित बन्दोबस्ती बीमा योजना है। इस योजना की विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) 512 N283V01 है। इस योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 90 दिन एवम् अधिकतम् आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित है तथा परिपक्वता पर अधिकतम आयु सीमा 18 वर्ष से 75 वर्ष निर्धारित है। इस योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति न्यूनतम अवधि 10 वर्ष से लेकर अधिकतम 25 वर्ष तक की अवधि का बीमा पॉलिसी ले सकता हैं। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 50,000 रू0 तक बीमा पॉलिसी ली जा सकती हैं जबकि अधिकतम बीमा राशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

लाभ :– परिपक्वता लाभ –

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी अवधि की समाप्ति तक जीवित रहता है तो उसे निहित सामान्य प्रत्यावर्ती बोनस + अंतिम अतिरिक्त बोनस के साथ (यदि है) देय होगी।

मृत्यु लाभ :–

यदि बीमित जीवन की मृत्यु जोखिम प्रारम्भ होने पर या उसके पश्चात् होती हैं, तो उसके द्वारा नामित व्यक्ति को सामान्य प्रत्यावर्ती बोनस + अंतिम अतिरिक्त बोनस (यदि हैं) + बीमा राशि प्राप्त होता है।

यदि बीमित जीवन की मृत्यु जोखिम प्रारम्भ होने से पूर्व होती हैं तो उसके नामिनी को कर एवं अतिरिक्त प्रीमियम (यदि है) को छोड़कर – ब्याज रहित एकल प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा।

जोखिम प्रारम्भ –

यदि प्रवेश के समय बीमित व्यक्ति की आयु 8 वर्ष या उससे अधिक है तो तुरंत ही जोखिम प्रारम्भ हो जायेगा। यदि प्रवेश के समय बीमित व्यक्ति की आयु 8 वर्ष से कम हैं तो जोखिम

का प्रारम्भ पॉलिसी प्रारम्भ होने की तिथि से 2 वर्ष पश्चात् या 8 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले पॉलिसी दिवस से या उसके पश्चात् 8 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर होगा।

5. न्यू जीवन विधि (तालिका संख्या–818)

उत्पाद परिचय एवं विशेषताएँ :–

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 27 जनवरी 2014 से न्यू जीवन विधि योजना (तालिका सं0 818) जारी की गई है। इस योजना की विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) 512 N271V01 है जो पॉलिसीधारकों तथा अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार सभी सम्बन्धित दस्तावेजों पर अंकित होती हैं। यह एक विलम्बित पेंशन योजना है इस योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवम् अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष (एकल प्रीमियम) तथा 58 वर्ष (नियमित प्रीमियम) हेतु निर्धारित होती है। इस योजना में न्यूनतम निहित आयु 55 वर्ष एवम् अधिकतम निहित आयु 65 वर्ष होता है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम बीमा राशि 1,50,000 रू0 (एक प्रीमियम) एवम् 100000 रू0 (नियमित प्रीमियम) हेतु निर्धारित हैं जबकि अधिकतम बीमा राशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इस योजना में न्यूनतम विलम्ब अवधि 5 वर्ष (एकल प्रीमियम) तथा 7 वर्ष (नियमित प्रीमियम) हेतु अधिकतम विलम्ब अवधि 35 वर्ष निर्धारित है।

लाभ :– मृत्यु लाभ :–

प्रथम 5 वर्षो के अन्तर्गत मृत्यु होने पर यदि पॉलिसी नियमित चालू है तो मूल बीमा राशि के साथ सुनिश्चित हितलाभ देय होगा। एकमुश्त या वार्षिकी की तरह या आंशिक भुगतान एंव शेष का भुगतान नामित/कानूनी उत्तराधिकारी को तत्कालिक वार्षिक दर पर देय होगा।

प्रथम 5 वर्षो के बाद मृत्यु होने पर यदि पॉलिसी नियमित चालू हैं तो मूल बीमाराशि + संचित सुनिश्चित लाभ प्रथम 5 वर्षो के लिए 50 रू0 की दर से + निहित सामान्य प्रत्यावर्ती + अंतिम अतिरिक्त बोनस यदि कोई है तो देय होगा। एक मुश्त या वार्षिकी की तरह या आंशिक भुगतान तथा शेष का भुगतान नामित/कानूनी उत्तराधिकारी को तत्कालीन वार्षिकी दर पर दिया जायेगा। मृत्यु किसी भी समय कुल देय प्रीमियमों (कर, अतिरिक्त प्रीमियम व राइडर प्रीमियम इसमें शामिल नहीं होगा) के 105 प्रतिशत से कम होगा।

निहित होने पर लाभ :–

यदि पॉलिसी निहित होने पर निरन्तर जारी रहती हैं तो उसे मूल बीमाराशि + संचित सुनिश्चित लाभ प्रथम 5 वर्षो के लिए 50 रू0 की दर से + निहित सामान्य प्रत्यावर्ती बोनस + अंतिम अतिरिक्त बोनस (यदि है) देय होता है। इसे निम्न विकल्पों के साथ अनिवार्य रूप से वार्षिकी में परिवर्तित कर दिया जायेगा। इस विकल्प का प्रयोग परिपक्वता पर किया जाना है (निहित तिथि से कम से कम 6 माह पूर्व)।

1– एक त्वरित वार्षिकी क्रय करने के लिए (वार्षिक के विनिमय के विकल्प के साथ)

2– भारतीय जीवन बीमा निगम से एकल प्रीमियम त्वरित विलम्बित पेंशन उत्पाद क्रय करने के लिए विकल्प के साथ। त्वरित वार्षिकी या विलम्बित पेंशन योजना खरीदने पर 30 प्रतिशत की छुट देय होगी।

अन्य विशेषताएँ :–

1– बीमाराशि पर छूट नियमित प्रीमियम में 3 लाख व अधिक राशि पर 2 रू0 प्रति 1000 बीमाराशि पर छूट देय होता है।

2– बीमाराशि पर छूट एकल प्रीमियम में 3 लाख व अधिक पर 5 रू0 प्रति 1000 बीमाराशि कि दर पर छूट देय होता है।

3– दुर्घटना लाभ अधिकतम 50 लाख (नियमित प्रीमियम पर देय हैं)

4– भुगतान वार्षिक करने पर 2 प्रतिशत की छूट एवम् अर्द्धवार्षिक पर 10 प्रतिशत की छूट देय होता है।

6. न्यू मनी बैंक प्लान (तालिका संख्या–820)

उत्पाद परिचय एवं विशेषताएँ :–

भारतीय जीवन बीमा निगम ने न्यू मनी बैंक प्लान 20 वर्ष (तालिका संख्या–820) 6 जनवरी, 2014 से जारी किया है। यह एक नान लिवन्ड, लाभ–सहित, सीमित प्रीमियम भुगतान वाली योजना हैं इस योजना की विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) 512 N280V01 है जो कि

पॉलिसीधारकों तथा अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार सभी दस्तावेजों पर अंकित होती है। इस योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 13 वर्ष एवम् अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित है। योजना में अधिकतम परिपक्वता आय 70 वर्ष निर्धारित है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 20 वर्ष पॉलिसी अवधि की बीमा पॉलिसी ली जा सकती है। इस योजना में प्रीमियम भुगतान अवधि 15 वर्ष होता है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम बीमा राशि 100,000 रू0 निर्धारित है जबकि अधिकतम बीमाराशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

लाभ :– विद्यमानता लाभ :–

निर्धारित अवधियों की समाप्ति तक बीमित जीवन के जीवित रहने पर प्रत्येक 5 वें 10वें व 15वें पॉलिसी वर्ष की समाप्ति पर उसे बीमाराशि का 20 प्रतिशत प्राप्त होगा।

परिपक्वता लाभ :–

निर्धारित परिपक्वता तिथि तक बीमित जीवन की विद्यमानता पर उसे बीमाराशि के 40प्रतिशत + निहित सामान्य प्रत्यावर्ती बोनस + अंतिम अतिरिक्त बोनस यदि है देय होता है।

मृत्यु लाभ :–

1– पॉलिसी अवधि में बीमित की मृत्यु होने पर बीमा राशि + निहित सामान्य प्रत्यावर्ती बोनस + अंतिम अतिरिक्त बोनस यदि कोई हो तो देय होता है। यह मृत्यु लाभ मृत्यु तिथि तक दिये गये कुल प्रीमियमों की राशि के 105 प्रतिशत से कम नहीं होता है।

2– दुर्घटना से मृत्यु होने पर पूर्व प्रदत्त विद्यमानता लाभों की कटौती किए बिना बीमा राशि X 2 + बोनस देय होता है।

अन्य विशेषताएँ :–

1– भुगतान विधि के वार्षिक विधि पर 2 प्रतिशत की छूट तथा अर्द्धवार्षिक विधि पर 1 प्रतिशत की छूट देय होती है।

2– इस पॉलिसी पर ऋण संचालित पॉलिसियों हेतु समर्पण मू का 90 प्रतिशत प्रदत्त पॉलिसियों हेतु समर्पण मू0 का 80 प्रतिशत ऋण के रूप में प्रदान किया जा सकता है।

3– 3 वर्ष के पश्चात् पॉलिसी का समर्पण किया जा सकता है एवम् 2 वर्ष के अन्दर पॉलिसी का पुनर्चलन किया जा सकता है।

7. न्यू मनी बैंक प्लान (तालिका संख्या–821)

उत्पाद परिचय एवं विशेषताएँ :–

भारतीय जीवन बीमा निगम ने न्यू मनी बैंक प्लान 25 वर्ष (तालिका संख्या–821) 6 जनवरी, 2014 से जारी किया है। यह एक नान लिवन्ड, लाभ–सहित, सीमित प्रीमियम भुगतान वाली योजना हैं इस योजना की विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) 512 N278V01 है जो कि पॉलिसीधारकों तथा अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार सभी दस्तावेजों पर अंकित होती है। इस योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 13 वर्ष एवम् अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित है। परिपक्वता पर अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 25 वर्ष अविध तक कि बीमा पॉलिसी ली जा सकती है। इस योजना के अन्तर्गत इच्छुक व्यक्ति न्यूनतम 100,000 रू0 तक कि बीमा पॉलिसी ले सकते हैं जबकि अधिक बीमाराशि की सीमा निर्धारित नहीं है।

लाभ :–

विद्यमानता लाभ :–

निर्धारित अवधियों की समाप्ति तक बीमित जीवन की विद्यमानता पर प्रत्येक 5 वें 10वें व 15वें एवं 20वें पॉलिसी वर्ष की समाप्ति पर बीमाधारक को बीमाराशि का 15 प्रतिशत प्राप्त होता है।

परिपक्वता लाभ :–

निर्धारित परिपक्वता तिथि तक बीमित जीवन की विद्यमानता पर उसे बीमाराशि के 40प्रतिशत के साथ निहित सामान्य प्रत्यावर्ती बोनस + अंतिम अतिरिक्त बोनस बीमाधारक को देय होगा।

मृत्यु लाभ :–

1– पॉलिसी अवधि में बीमित की मृत्यु होने पर बीमा राशि + निहित सामान्य प्रत्यावर्ती बोनस + अंतिम अतिरिक्त बोनस यदि कोई हो तो नामित व्यक्ति को देय होगा। इस अविध में

मृत्यु पर देय बीमा राशि का 125 प्रतिशत या वार्षिक प्रीमियम का 10 गुना इनमें से जो भी अधिक हो नामित या कानूनी उत्तराधिकारी को देय होगा। यह मृत्यु लाभ मृत्यु तिथि तक दिये गये कुल प्रीमियम राशि के 105 प्रतिशत से कम नहीं होता है।

2– दुर्घटना से मृत्यु होने पर पूर्व प्रदत्त विद्यमान लाभों की कटौती किए बिना बीमा राशि x 2 + बोनस नामित या कानूनी उत्तराधिकारी को देय होगा।

अन्य विशेषताएँ :–

1– 2 लाख से 4.95 लाख रू0 पर 2 रू0 प्रति हजार एवम् 5 लाख व अधिक कि राशि पर 3 रू प्रति हजार कि दर से छूट देय होता है।

2– इस योजना में वार्षिक भुगतान विधि पर 2 प्रतिशत की छूट एवम् अर्द्धवार्षिक भुगतान तिथि पर 1 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।

3– इस योजना के अन्तर्गत संचालित पॉलिसियों हेतु समर्पण मू0 का 90 प्रतिशत प्रदत्त पॉलिसियों हेतु समर्पण मू0 का 80 प्रतिशत तक ऋण के रूप में दिया जा सकता है।

4– 3 वर्ष के पश्चात् पॉलिसी का समर्पण किया जा सकता है।

5– इस योजना के अन्तर्गत पुनर्चलन 2 वर्ष के अन्दर किया जा सकता है।

8. अनमोल जीवन–।। (तालिका संख्या–822)

अमूल्य जीवन –।। (तालिका संख्या–823)

उत्पाद परिचय एवं विशेषताएँ :–

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अनमोल जीवन–।। (तालिका संख्या–822) व अमूल्य जीवन –।। (तालिका संख्या–823) 3 फरवरी, 2014 से जारी की गयी है। योजनाओं की विशिष्ट पहचान संख्या क्रमशः (UIN) 512 N285V01 तथा (UIN) 512 N286V01 हैं। इन योजनाओं में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवम् अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष (अनमोल जीवन –।।) तथा 60 वर्ष (अमूल्य जीवन–।।) के लिए निर्धारित है। इन योजनाओं के अन्तर्गत न्यूनतम 5 वर्ष से लेकर अधिकतम 25 वर्ष (अनमोल जीवन –।।)

तथा 35 वर्ष (अमूल्य जीवन–।।) तक कि अवधि की बीमा पॉलिसी ली जा सकती है। इन योजनाओं के अन्तर्गत न्यूनतम 6 लाख रू0 (अनमोल जीवन–।।) व न्यूनतम 25 लाख रू0 (अमूल्य जीवन–।।) एवम् अधिकतम 24 लाख रू0 (अनमोल जीवन–।।) की धनराशि तक बीमा पॉलिसी ली जा सकती हैं अमूल्य जीवन –।। में अधिकतम बीमाराशि की सीमा निर्धारित नहीं है।

मृत्यु लाभ :–

मृत्यु पर बीमाराशि के बराबर राशि देय होती है।

परिपक्वत लाभ –

पॉलिसी अविध के अन्त तक बीमित के जीवत रहने पर कोई लाभ नहीं प्रदान किया जाता है।

9. जीवन रक्षक (तालिका संख्या–827)

उत्पाद परिचय एवं

विशेषताएँ :–

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 19 अगस्त 2014 से जीवन रक्षक (तालिका संख्या–827) को जारी किया गया है। योजनाओं की विशिष्ट पहचान संख्या क्रमशः (UIN) 512 N289V01 हैं। यह एक नियमित प्रीमियम भुगतान वाली लाभ–सहित बन्दोबस्ती (एण्डॉवमेन्ट) योजना है। यह योजना केवल मानक जीवनों को बिना स्वास्थ्य परीक्षा के उपलब्ध होगी तथा योजना के अन्तर्गत अधिकतम बीमाराशि रू0 2 लाख से अधिक नहीं होगी। इस योजना में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 8 वर्ष एवम् अधिकतम् आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित है। इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम परिपक्वता आयु 70 वर्ष निर्धारित है। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 10 वर्ष से अधिकतम 20 वर्ष तक कि अवधि के लिए बीमा पॉलिसी ली जा सकती है। इस योजना में न्यूनतम 75,000 रू0 से लेकर अधिकतम 2,00,000 रू0 तक की बीमा पॉलिसी ली जा सकती है।

लाभ :–

1– परिपक्वता लाभ :–

बीमित के पॉलिसी अवधि के अन्त तक जीवित हरने पर मूल बीमराशि सहभागिता लाभ के साथ देय होगा।

2– मृत्यु लाभ :–

यदि बीमित जीवन की मृत्यु पॉलिसी अवधि में होती है तो उसके नामिनी को मृत्यु पर बीमाराशि निम्न में जो भी अधिक हो देय होगी। मूल बीमाराशि या वार्षिक प्रीमियम का 10 प्रतिशत या मृत्यु तिथि तक देय सभी प्रीमियम का 105 प्रतिशत।

अन्य विशेषताएँ :–

1– संचालित पॉलिसी पर समर्पण मू0 का 70 प्रतिशत ऋण प्रदान किया जा सकता है प्रदत्त पॉलिसी पर समर्पण मू0 का 60 प्रतिशत ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

2– 1.50 लाख रू से 2.00 लाख रू0 बीमा राशि पर 1.5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।

उत्पाद सारांश

बीमा उत्पाद का नाम	विशेषताएँ
आजीवन बीमा तालिका क्रमांक –02	आजीवन बीमा उत्पादों के अन्तर्गत न्यूनतम प्रीमियम का भुगतान कर अधिकृत जोखिम के लाभ का उपभोग किया जाता है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके अन्तर्गत बीमा राशि बीमित व्यक्ति को उसके जीवन काल में न प्राप्त होकर उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात् उसके आश्रितों को देय होती है। इस बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत बीमा कराने वाले व्यक्ति को स्वयं कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, बल्कि यह तो उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके परिवार के लिए लाभदायक होती है।
परिवर्तनशील आजीवन बीमा योजना तालिका क्रमांक –27	परिवर्तनशील आजीवन बीमा के अन्तर्गत बीमा धारक के पास 5 वर्ष पॉलिसी जारी रखने के उपरान्त विकल्प उपस्थित होता हैं कि आजीवन बीमा को बन्दोबस्ती में परिवर्तित कर नई बीमा अवधि का चयन कर चालू रखे या आजीवन बीमा के अन्तर्गत ही 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक प्रीमियम का भुगतान करता रहे एंव बीमा धन की अदायगी उसकी मृत्यु के उपरान्त नामित व्यक्ति को की जाए।
सीमित भुगतान	यह योजना पारिवारिक हितों के लिए सर्वोत्तम प्रकार की योजना हैं,

आजीवन बीमा तालिका क्रमांक –05	क्योंकि इसके अन्तर्गत बीमित व्यक्ति अपने जीवन काल के सर्वाधिक सक्रिय दिनों में ही सभी प्रीमियमों का भुगतान कर देता हैं तथा जीवन के उन दिनों में जबकि परिस्थितियॉ प्रतिकूल हो सकती हैं, उसे प्रीमियम भुगतान की आवश्यकता नहीं पड़ती।
बन्दोबस्ती बीमी योजना लाभ सहित तालिका क्रमांक –14	यह औसत प्रीमियम वाली योजना हैं। इसमें पॉलिसीधारक की मृत्यु न होने पर बीमित राशि का भुगतान राशि का भुगतान बन्दोबस्ती अवधि के समाप्त पर देय होता हैं और यह राशि पालिसीधारक के शेष जीवन के लिए निवेश किया जाता हैं या अन्य उपयोगी योजनाओं में निवेश किया जाता हैं।
जीवन मित्र तिगुनी सुरक्षा (तालिका क्रमांक – 133)	इस योजना के अन्तर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु की दशा में नामांकित व्यक्ति को बीमित धनराशि का तीन गुना राशि बोनस के साथ देय होता है यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु दुर्धटना से हुई हैं तो बीमित धनराशि का चारगुना धनराशि नामांकित व्यक्ति को देय होता है।
जीवन आनन्द (तालिका क्रमांक –149)	यह योजना आजीवन बीमा उत्पाद तथा बन्दोबस्ती बीमा उत्पाद का संयुक्त रूप हैं। इस योजना के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित बीमा राशि तथा बोनस प्रीमियम भुगतान अवधि के अन्त में देय होता हैं किन्तु व्यक्ति के जीवन पर संरक्षण मृत्यु पर्यत जारी रहता हैं।
नई जनरक्षा पॉलिसी (तालिका क्रमांक–191)	यह योजना कृषकों एवं कर्मचारियों के लिए एक आदर्श हैं क्योकि कृषकों को मौसम की विषमताओं पर आश्रित रहना पडता हैं। जबकि कर्मचारियों को व्यापार चक्र में होने वाले परिवर्तनों, हानियों, हडतालों, मजदुरों के आपसी क्षगडों आदि से जूक्षना पडता हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रीमियम का भुगतान न होने पर भी यह पॉलिसी 3 वर्ष तक संरक्षण प्रदान करती हैं। यह लाभ कम से कम 2 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करने पर प्राप्त होता हैं।
धन वापसी योजना (तालिका क्रमांक – 75 एवम्	सामान्य बन्दोबस्ती उत्पादों से भिन्न जिनमें केवल लाभ बन्दोबस्ती अवधि के समाप्ति होने पर देय होता हैं जबकि इस योजना में अवधि के दौरान समय समय पर आंशिक लाभ प्रदान करने का प्रावधान हैं।

93)	
बीमा बचत (तालिका क्रमांक – 175)	यह योजना एक एकल प्रीमियम धन वापसी योजना हैं जिसमें परिपक्वता पर पॉलिसी धारक को पॉलिसी के अन्तर्गत जमा किया गया एकल प्रीमियम लाभ के साथ देय होता हैं, इसके अतिरिक्त निर्धारित अवधि तक पॉलिसी धारक की विद्यमानता पर पॉलिसी धारक को लाभ किस्तों में देय होता है। यदि पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाने पर इस योजना के अन्तर्गत पॉलिसी धारक के नामित को बीमा राशि देय होती है।
जीवन सुरभि योजना (तालिका क्रमांक – 106, 107, 108)	इस उत्पाद के अन्तर्गत परिपक्वता अवधि प्रीमियम भुगतान अवधि से अधिक होती हैं। इसके अन्तर्गत विधमानता लाभ का भुगतान शीघ्र व उच्च दर से होता हैं। जोखिम संरक्षण में प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात वृद्धि होती रहती हैं। यह योजना व्यपारियों एव व्यवसायियों के लिए उपयोगी हैं।
जीवन आधार तालिका क्रमांक –114	यह पॉलिसी सीमित भुगतान आजीवन प्रकार पॉलिसी है। इसमें प्रीमियम का भुगतान सुनिश्चित अवधि तक किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत कम से कम 10 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करने के पश्चात् यदि बीमित जीवन की मृत्यु होती है तो नामित व्यक्ति को बीमा राशि सुनिश्चित लाभ (100 रूपयें प्रति हजार बीमा राशि की दर से). आवधिक बोनस (यदि हो) देय होता है। यह राशि कल्पित बीमा राशि कहलाती है। बीमा धारक की मृत्यु के पश्चात् नामित को इस कल्पित बीमा राशि का 20 प्रतिशत राशि का भुगतान तत्काल देय होगा एवं शेष 80 प्रतिशत नामित व्यक्ति को 15 वर्ष तक निश्चित एवं तत्पश्चात् आजीवन पेंशन के रूप में देय होगा।
जीवन विश्वास तालिका क्रमांक –136	यह लाभ से युक्त बन्दोबस्ती योजना है। यह योजना उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हैं जिन व्यक्तियों का कोई विकलांग आश्रित है। इसमें मूल बीमा राशि का 20 प्रतिशत. लाभ का परिपक्वता पर भुगतान किया जाता है। शेष 80 प्रतिशत का उपयोग विकलांग आश्रित के लिए चयनित विधि के अनुसार तुरन्त वार्षिकी प्रदान करने के लिए किया जाता है।

बीमा उत्पाद का नाम	विशेषताएँ
जीवन भारती तालिका कमांक –160	यह योजना महिलाओं को धन बचत के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इस योजना के अन्तर्गत यदि प्रथम दो वर्षों में प्रीमियम का भुगतान किया गया हैं तो तीन वर्षो तक बिना प्रीमियम भुगतान के भी बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती हैं इस योजना के अन्तर्गत अग्रिम प्रीमियम जमा करने पर 4 प्रतिशत वार्षिक छूट प्राप्त करने की भी सुविधा है।
जीवन श्री तालिका कमांक–102	यह बन्दोबस्ती योजना उच्च आय वाले व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी है। यह योजना व्यवसायी, उद्योगपति, जमींदार, अप्रवासी, भारतीय फिल्म स्टार किसी संस्था के प्रमुख व्यक्ति या स्वयं के किसी कार्य क्षेत्र में सफल व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। इस योजना में जीवन बीमा सुरक्षा बीमा भुगतान अवधि के पश्चात् भी काफी समय तक जारी रहती है।
जीवन प्रमुख तालिका कमांक–167	यह योजना एक बन्दोबस्ती योजना हैं जो उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जो किसी संगठन के कार्य क्षेत्र तथा उसकी लाभप्रद क्रियाओं में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इन प्रमुख व्यक्तियों की अनुपस्थिति संगठन के भविष्य तथा उसके लाभ को प्रभावित कर सकती है। जीवन बीमा निगम की जीवन प्रमुख योजना की मैन इन्श्योरेश योजना हैं जो व्यक्ति की अपनी कम्पनी को ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण हानि के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करती है।
जीवन अनुराग तालिका कमांक–168	जीवन अनुराग योजना विशेष रूप से बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गयी है। यह योजना माता या पिता में से कोई भी अपने जीवन पर ले सकता है। परिपक्वता अवधि से पूर्व 3 पॉलिसी वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में मूल बीमा राशि का 20 प्रतिशत भुगतान किया जाता है तथा परिपक्वता पर पूर्ण बीमा राशि पर पूर्ण अवधि के लिए समय समय पर घोषित प्रत्यावर्ती बोनसों और अन्तिम बोनसों का समेत यदि कोई है बीमित रकम का 40 प्रतिशत देय होता है।

कोमल जीवन तालिका क्रमांक —159	यह बच्चों की एक धन वापसी योजना हैं जो मृत्यु की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा देती हैं और योजना अवधि के दौरान उत्तरजीविता पर तय अन्तराल के बाद समय–समय पर भुगतान करती है। यह पॉलिसी 0 से 10 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए कोई भी अभिभावक (माता / पिता) या अभिभावकों के अभिभावक (दादा / दादी, नाना / नानी) खरीद सकते है। इस योजना इस योजना के अन्तर्गत जोखिम सुरक्षा पॉलिसी प्रारम्भ होने के दो वर्ष बाद या बच्चें की उम्र सात वर्ष पूरी करने के तुरन्त बाद पॉलिसी की साल गिरह से जो भी बाद मे हो प्रारम्भ होती है।

बीमा उत्पाद का नाम	**विशेषताएँ**
जीवन छाया तालिका क्रमांक–103	यह योजना उन माता–पिता के लिए लाभ दायक है जिनका एक वर्ष से कम आयु का बच्चा हैं (गोद लिया गया बच्चा नहीं)। यदि पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उपयुक्त निर्धारित लाभों के अतिरिक्त बीमा राशि देय होती है। इस पॉलिसी के अन्तर्गत योजना की समूची अवधि के दौरान मृत्यु हो जाने पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। पॉलिसी धारक की मृत्यु के तुरन्त बाद पूरी बीमित धनराशि का भुगतान कर दिया जाता हैं और उस धनराशि के अतिरिक्त पॉलिसी की अवधि के अन्तिम चार वर्षो के दौरान हर साल के अन्त में बीमित धनराशि के एक चौथाई रकम का भुगतान देय होता है। चाहे बीमित व्यक्ति जीवित हो अथवा उसकी मृत्यु हो गई हो।

चाइल्ड कैरियर योजना तालिका क्रमांक –184	यह योजना खास तौर पर बढते बच्चे से सम्बन्धित शैक्षणिक, वैवाहिक एवं अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। इस योजना के अन्तर्गत न सिर्फ पॉलिसी अवधि में बल्कि विस्तारित अवधि के दौरान भी (अर्थात् पॉलिसी अवधि समाप्त होने के सात वर्ष बाद तक) बच्चें को जोखिम सुरक्षा प्रदान करती है। पॉलिसी अवधि की समाप्ति की तिथि से 5 वर्ष पूर्व बीमा राशि का 30 प्रतिशत. बोनस पालिसी अवधि की समाप्ति की तिथि से 4 वर्ष पूर्व : बीमा राशि का 15 प्रतिशत पालिसी अवधि की समाप्ति की तिथि से 3 वर्ष पूर्व बीमा राशि का 15 प्रतिशत पालिसी अवधि की समाप्ति की तिथि से 2 वर्ष पूर्व : बीमा राशि का 15 प्रतिशत पालिसी अवधि की समाप्ति पर : बीमा राशि का 15 प्रतिशत. अन्तिम अतिरिक्त बोनस

बीमा उत्पाद का नाम	**विशेषताएँ**
चाइल्ड फ्युचर प्लान तालिका क्रमांक –185	यह योजना बढ़ते हुए बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ–साथ पालिसी अवधि एवं विस्तारित अवधि (पॉलिसी अवधि के पश्चात् 7 वर्ष हैं) के दौरान जीवन संरक्षण प्रदान करती हैं।

विवाह बन्दोबस्ती / शैक्षिक वार्षिक योजना तालिका क्रमांक –90	यह एक बन्दोबस्ती योजना है । यह योजना विशेष रूप से बच्चों के भविष्य निर्माण में उपस्थित होने वाली विभिन्न आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्मित की गयी बीमा योजना है। शिक्षा विवाह, रोजगार, व्यवसाय आदि से जुड़ी आर्थिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर बीमा अवधि का चयन किया जा सकता है। परिपक्वता पर शिक्षा हेतु 10 अर्द्धवार्षिक किस्तों में राशि का भुगतान किया जाता है।

बीमा उत्पाद का नाम	**विशेषताएँ**
जीवन अंकुर तालिका क्रमांक –807	यह योजना विशेष रूप से बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए बनाई गई है।इस योजना के अन्तर्गत पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर मूल बीमा राशि का भुगतान नामित व्यक्ति को किया जाता है और मृत्यु की तिथि को या उसके तत्काल बाद पड़ने वाले प्रत्येक पॉलिसी बर्षगॉठ पर पॉलिसी अवधि के समाप्त होने तक नामित व्यक्ति को मूल बीमा राशि के 10 प्रतिशत के बराबर लाभ का भुगतान किया जाता है। बच्चे की मृत्यु होने की दशा में यदि बीमित व्यक्ति जीवित है तो बीमित व्यक्ति के पास दुसरे बच्चें / व्यक्ति को नामाकित करने का विकल्प होता है।
जीवन साथी तालिका क्रमांक –89	यह पति–पत्नी के जीवन पर जारी की जाने वाली बन्दोबस्ती बीमा योजना है। यह योजना पति एवं पत्नी दोनों के जीवनों पर मृत्यु उपरान्त बीमा राशि के बराबर का आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। पॉलिसी अवधि के अन्त में जीवित पति या पत्नी या दोनों के जीवित रहने पर परिपक्वता लाभ मिलता हैं। दाम्पत्य संगियो में पहले मरने वाले की मृत्यु पर बीमित रकम एकमुश्त देय होती हैं लेकिन अगर दोनों व्यक्तियों में से जीवित व्यक्ति उसके बाद पॉलिसी की अवधि के भीतर मर जाता है तो बीमित रकम दुबारा समस्त बोनसों के साथ एकमुश्त देय होती है। यदि बीमित व्यक्तियों में से एक या दोनों पॉलिसी की अवधि के अन्ततक जीवित रहते हैं तो भुगतान तिथि तक में घोषित समस्त बोनसों के साथ बीमित रकम देय होती है।

बीमा उत्पाद का नाम	विशेषताएँ
नई जीवन सुरक्षा–1 / नई जीवन धारा–1 तालिका संख्या–147 / 148	यह योजना उनके लिए उपयोगी है जो अपने परिवार को नियमित एवं आवद्यिक आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति करना चाहते हैं। परिपक्वता पर बोनस तथा अंतिम अतिरिक्त बोनस (यदि है) सहित काल्पनिक नकद विकल्प को वार्षिकी में परिवर्तित कर दिया जाता हैं। इस पॉलिसी के अन्तर्गत कम से कम पूरे दो वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करने के पश्चात् यदि कोई प्रीमियम उचित समय पर अदा नहीं किया जाता है तो पॉलिसी पूर्णतया समाप्त नहीं होती हैं बल्कि काल्पनिक नकद विकल्प राशि (जिस राशि पर पेंशन वार्षिकी की गणना की जाती है) का वह भाग कम कर दिया जाता है।
जीवन निधि तालिका क्रमांक –169	यह योजना लाभ सहित विलम्बित वार्षिक (पेंशन) योजना हैं।इस योजना के अन्तर्गत पॉलिसी अवधि के पश्चात् पॉलिसीधारक की विद्यमानता पर संयोजित धनराशि (बीमा राशि + सुनिश्चित लाभ + बोनस) का प्रयोग पॉलिसीधारक को पेंशन प्रदान करने में किया जाता हैं। विलम्बित अवधि (पॉलिसी प्राप्त करने की तिथि तथा वृत्ति प्राप्त करने की तिथि के बीच का अन्तर) अवधि के दौरान यह योजना जोखिम संरक्षण भी प्रदान करती है।

बीमा उत्पाद का नाम	विशेषताएँ
मार्केट प्लस–1 तालिका क्रमांक– 191	यह नियमित एव एकल प्रीमियम वाली यूनिट लिंक्ड विलम्बित पेंशन योजना हैं। इस योजना के अन्तर्गत यदि जीवन संरक्षण का विकल्प लिया गया है तथा पॉलिसी पूर्णतया संचालित है तो विलम्बित अवधि के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु नामिनी को देयता की तिथि को मौजूद निधि मूल्य के साथ–साथ मूल योजना के अन्तर्गत बीमा राशि प्राप्त होती है। यह लाभ एक मुश्त या पेंशन के रूप में या एक मुश्त तथा पेंशन संयुक्त रूप में जैसा चाहे प्राप्त हो सकता हैं। यदि पॉलिसी बिना जीवन संरक्षण के ली गयी है तो उपर्युक्त आधार पर देयता की निधि को नामिनी निधि–मूल्य एक मुश्त या पेंशन के रूप में या एकमुश्त तथा पेंशन के रूप में अपनी इच्छानुसार प्राप्त कर सकता है। यदि पॉलिसी कालातीत अवस्था में है तो नामिनी पॉलिसीधारक को निधि से मौजूद निधि मूल्य या तो एकमुश्त या पेंशन के रूप मे अपनी इच्छानुसार प्राप्त कर सकता
मनी प्लस – 1 तालिका क्रमांक –193	मनी प्लस एक यूनिट लिंक्ड बन्दोबस्ती एवं नियमित प्रीमियम भुगतान अवधि वाली योजना हैं जो कि पॉलिसी अवधि के दौरान निवेश बनाम बीमा प्रदान करती है।

निष्कर्ष

भारतीय जीवन बीमा निगम के विभिन्न बीमा उत्पादों का अध्ययन करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम के बन्दोबस्ती बीमा उत्पाद आम लोगों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। इन उत्पादों में बन्दोबस्ती बीमा उत्पाद **(तालिका संख्या–14)**, जीवन आनन्द **(तालिका संख्या–149)** सभी वर्गों के लिए सबसे उपयुक्त हैं क्योकि ये उत्पाद औसत प्रीमियम और अधिक लाभ प्रदान करने वाले हैं। इसके पश्चात धन वापसी उत्पाद लोगो के लिए सबसे उपयुक्त हैं क्योकि धन वापसी उत्पाद के अन्तर्गत पॉलिसी अवधि में निश्चित अन्तराल पर निश्चित धनराशि वापस की जाती हैं। बच्चो के लिए चाइल्ड कैरियर योजना एवम् चाइल्ड फ्यूचर योजना सबसे उपयुक्त हैं क्योकि ये उत्पाद बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ पॉलिसी अवधि एवं विस्तारित अवधि के दौरान जीवन संरक्षण प्रदान करती हैं। महिलाओं के लिए विशेष धन वापसी योजना जीवन भारती **(तालिका संख्या–160)** सबसे उपयुक्त हैं क्योकि इस योजना के अन्तर्गत प्रथम दो वर्षो तक प्रीमियम का भुगतान किया गया है तो तीन वर्षो तक बिना प्रीमियम भुगतान के जोखिम संरक्षण जारी रहता हैं। जीवन साथी **(तालिका संख्या–160)** पति पत्नी के जीवन पर जारी की जाने वाली योजना विवाहित लोगो के लिए सबसे उपयुक्त हैं क्योकि इसके अन्तर्गत पति एवं पत्नी दोनो के जीवनों पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। पेन्शन उत्पादों के अन्तर्गत जीवन निधि(तालिका संख्या–169) सबसे उपयुक्त उत्पाद **हैं मनी प्लस–1 (तालिका संख्या–193)** यूनिट लिंक्ड बन्दोबस्ती एवं नियमित प्रीमियम भुगतान अवधि वाली योजना भी लोगो के लिए उपयुक्त हैं क्याकि पॉलिसी अवधि के दौरान निवेश के साथ बीमा सुरक्षा प्रदान करती हैं। इस प्रकार भारतीय जीवन बीमा निगम के विभिन्न उत्पाद लोगो की अलग अलग आवश्कताओं के अनुरूप लाभ प्रदान करते हैं। ये समस्त उत्पाद लोगो के लिए किसी न किसी उददेश्य कि पूर्ति के लिए निर्मित किये गये हैं।